अध्याय IV: नौसेना

अधिप्राप्ति एवं संविदा/अनुबंध प्रबंधन

4.1 शस्त्र उपकरण डिपों तथा शस्त्र उपकरण निदेशालय की कार्यप्रणाली

मांग की वार्षिक समीक्षा (एआरडी) - आगे की योजना तथा शस्त्र उपकरण पुर्जों की पुनः पूर्त्ति के एक माप में 93 तथा 83 प्रतिशत से अधिक का विलम्ब क्रमशः मुम्बई तथा विशाखापट्टनम के शस्त्र उपकरण डिपों द्वारा किया गया था। इनमें से, आधे से अधिक एआरडी ने तीन महीने से अधिक का विलम्ब देखा। विलम्ब के बावजूद, एआरडी में त्रुटियां थी जैसे कि कैलेण्डर वर्ष का पालन न करना तथा उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में न रखना। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नौसेना स्तर पर शस्त्र पुर्जों के लिए समीक्षाओं से प्रकट अनुबंध निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरे नहीं किए गए थे। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नौसेना ने 79 प्रतिशत मामलों में मांगपत्र बनाने में भी विलम्ब किया। अक्तूबर 2013 तक प्रत्येक अवस्था पर विलम्ब के कारण, अनुबंध केवल 26 प्रतिशत मदों के लिए ही पूरे किए जा सके, जिसकी आवश्यकता वर्ष 2009 में प्रक्षेपित की गई थी। शस्त्र पुर्जों के लिए मांग के अनुपालन की गणना की प्रणाली, जो अपनाई जा रहीं है, को सख्त करने की आवश्यकता थी, जिसके अभाव में शस्त्र उपकरण भण्डारों हेतु आगे की योजना तथा पुनः पूर्ति प्रणाली के संपादन को विश्वासपूर्वक अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

4.1.1 भूमिका एवं प्रस्तावना

एक जहाज़ पर शस्त्र उपकरण प्रणाली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, हाईड्रॉलिक तथा यांत्रिक उपकरण होते हैं जो तोपखानों, मिसाईलों तथा पनडुब्बी रोधी युद्ध होते है तथा उनमें गन माउंटिंग तथा मिसाईल लांचर, अग्नि नियंत्रक सेंसर, मिसाईल ट्रैकिंग राडार/कम्पयूटर, टॉरपीडो, रॉकेट लांचर, तथा शस्त्र इंटर-लॉक प्रणाली आदि निहित होते है।

भारतीय नौसेना जहाजों, पनडुब्बियों, गोदी बाड़ों, मरम्मत बाड़ों, मिसाईल तकनीकी स्थापनाओं एवं प्रशिक्षण संस्थानों को समय पर तथा विश्वस्नीय शस्त्र लॉजिस्टिक्स सहायता सुनिश्चित करने के लिए मुम्बई, विशाखापट्टनम, कोच्चि तथा कारवार में शस्त्र उपकरण डिपो (डब्ल्यूईडी) स्थपित किए गए हैं। डब्ल्यूईडी का प्रमुख एक प्रभारी अधिकारी (मुम्बई में कैप्टन तथा विशाखापट्टनम में कमांडर स्तर पर) होता है और वह उनके नौसैनिक गोदीबाड़ो के

एडमिरल सुप्रिटेंडेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में शस्त्र उपकरण निदेशालय डब्ल्यु ई डी का नियंत्रक निदेशालय है।

4.1.2 कार्य

डब्ल्यूईडी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

1) शस्त्र पुर्जों तथा भण्डारों की वार्षिक समीक्षा करना।
2) गोदीबाड़ों, व्यापार अथवा मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के माध्यम से मरम्मत योग्य स्टॉक में रखे गए सभी शस्त्र पुर्जों की प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अन्दर अथवा यदि मरम्मत की लागत उपलब्ध प्रत्त्यायोजन से अधिक हो तो सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) की संस्वीकृति प्राप्त करके मरम्मत की व्यवस्था करना।
3) जहाज़ों, पनडुब्बियों, मिसाईल तकनीकी स्थापनाओं, गोदीबाड़ों को शस्त्र उपकरण भण्डार जारी करना, अर्थात जहाज़ों तथा स्थापनाओं द्वारा की जाने वाली मांग को पूरा करना।
4) प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत शस्त्र की खरीद।

4.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

हमने यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि डब्ल्यूईडी, वर्तमान नियमों के अनुसार समय पर एआरडी तैयार कर रहीं थी, मुम्बई तथा विशाखापट्टनम के डब्ल्यूईडीज़ की लेखापरीक्षा की क्योंकि दोनों डिपो, नौसेना में अधिकतर शस्त्र उपकरण पुर्जों के स्टॉकिंग डिपो है। हमने एआरडीज़ द्वारा की जाने वाली अधिप्राप्तियों की सामयिकता का भी आकलन किया। हमने शस्त्र उपकरणों के पुर्जों की आपूर्ति के लिए डब्ल्यूईडी से मांग के अनुपालन का भी आकलन किया।

हमने एआरडी की प्रोसेसिंग तथा इन एआरडी से की जाने वाली खरीद के संबंध में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में डीडब्ल्यूई की भूमिका का भी आकलन किया। हमने प्रश्नावलियां, प्रारम्भिक लेखापरीक्षा ज्ञापन तथा आपत्तियाँ जारी करके जुलाई से नबम्बर 2013 के दौरान तथा अप्रैल से मई 2014 के दौरान डब्ल्यूईडी तथा डीडब्ल्यूई का दौरा करके लेखा परीक्षा की। मामलों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए डब्ल्यूईडी (मुम्बई) तथा (विशाखापट्टनम) तथा डीडब्ल्यूई के नौसेना अधिकारियों के साथ बातचीत भी की गई थी।

चक्र 2009 -2011 के लिए एआरडीज़ के संबंध मे डब्ल्यूईडीज़ के कार्य वर्तमान लेखापरीक्षा में शामिल किए गए है। तथापि वर्ष 2010-13 के लिए शस्त्र उपकरण पुर्जों की मांग के अनुपालन की समीक्षा की गई थी क्योंकि अनुपालन में एआरडी का अनुसरण किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रश्नावली आदि के उत्तर, जहां प्राप्त हुए हैं, समुचित रूप से शामिल किए गए हैं। ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ मंत्रालय को जारी किया गया था (जून 2014); उनका उत्तर अपेक्षित था (सितम्बर 2014)। तथापि, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का उत्तर अगस्त 2014 में प्राप्त हुआ था तथा उसे समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

11 जुलाई 2014 को संबंधित नौसेना अधिकारियों के साथ एक एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी,जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। हम लेखापरीक्षा के दौरान नौसेना द्वारा दी गई सहायता के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

4.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बातों का पता लगाना था:

क. क्या मांग की वार्षिक समीक्षा (ए आर डी) तथा एआरडी के विरूद्ध शस्त्र पुर्जों की खरीद समय पर तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही थी?

ख. क्या डब्ल्यूईडीज़ पर मरम्मत योग्य सामान का परिसमापन समय पर किया गया था?

ग. क्या डब्ल्यूईडीज़ पर की गई पुर्जो की मांग के प्रति अनुपालन संतोषजनक था?

4.1.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्त्रोत

लेखापरीक्षा मापदण्ड के प्रमुख स्त्रोत निम्नलिखित थे:

1) शस्त्र उपकरण डिपों के मानक आदेश
2) नौसेना अनुदेश 2006
3) रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली 2009
4) डब्ल्यूईडी के संगठन पर नौसेना आदेश (2010)
5) डब्ल्यूईडी द्वारा शस्त्र पुर्जों की स्टॉकिंग पर नौसेना आदेश (2010)।
6) एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) पत्र सं. डब्ल्यूएस/0468/पॉलिसी दिनांक 07 जुलाई 2008 तथा 04 जुलाई 2011
7) मांग की वार्षिक समीक्षा (एआरडी) की अनुसूची - 2010 तथा 2011

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है:

4.1.6 क्या मांग की वार्षिक समीक्षा (एआरडी) तथा एआरडी के प्रति शस्त्र पुर्जों की खरीद समय पर तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) दिशानिर्देशों के अनुसार ही की गई थी?

4.1.6.1 आगे की योजना तथा पुनः पूर्ति के हिसाब से शस्त्र पुर्जे खरीदने के लिए एआरडी मानक विधि है। मांग सूची की प्रत्येक मद की एआरडी हेतु डब्ल्यूईडी द्वारा समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। एआरडी, डब्ल्यूईडी का एक महत्वपूर्ण कार्य हैं तथा उसमें समुचित सावधानी की ज़रूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भण्डार किए गए पुर्जों को डब्ल्यूईडी में समुचित रूप से स्टॉक किया गया है, ताकि जहाज़ तथा स्थापना से पुर्जों के लिए की जाने वाली मांगों का अनुपालन किया जा सके।

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के दिशा-निर्देशों (जुलाई 2008 तथा जुलाई 2011) के अनुसार, खरीद की मात्रा (पीक्यू), डब्ल्यूईडी के द्वारा ए.आर.डी. अभयास के एक भाग में लाई गई वह मात्रा है जो जहाजों/स्थापनाओं के द्वारा माँग को पुरा करने के लिए खरीद की जाने वाली मदों/पुर्जों के स्टॉक को अनुरक्षित करने के लिए है। एआरडी 2009 तथा 2010 के लिए पीक्यू निकालने के लिए निर्धारित फार्मुला निम्नलिखित था;

> पीक्यू = एमएसएल + ड्यूज़ आउट - कुल स्टॉक (स्टॉक + ड्यूज़ इन) जहां एमएसएल तीन साल का खपत + ड्यूज़ आउट था।
>
> एमएसएल, ड्यूज़ ऑउट तथा ड्यूज़ इन की परिभाषाएं निम्नलिखित बॉक्स में दी गई हैं:
>
> "एमएसएल" न्यूनतम स्टॉक स्तर है जो डब्ल्यूईडी द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली एक मद के लिए निर्धारित न्यूनतम स्टॉक है।
>
> "ड्यूज़ आउट" एक मद की वह मात्रा है जिसके लिए एक मांग बकाया है, और उसे अभी आपूर्ति किया जाना शेष है।
>
> "ड्यूज़ इन" एक मद की वह मात्रा है जिसके लिए एक मांग अथवा अनुबंध किया गया है अथवा इसे संपन्न किया गया है।

वर्ष 2011 में, पीक्यू के परिकलन का फॉर्मूला एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा संशोधित (जुलाई) किया गया था जो निम्नलिखित है:

पीक्यू = (एक्स. एसीएल + डयूसआउट + एमएसएल)- (स्टॉक +डयूज़ इन), जहां एसीएल तीन वर्ष का औसत खपत होगा। आयातित उपकरण के लिए पीक्यू कारक (एक्स) तीन तथा स्वदेशी उपकरण के लिए दो होगा।

एआरडीज़ की विधि निम्नलिखित है:

एआरडीज़ एक कैलेण्डर वर्ष के लिए अर्थात उस वर्ष के 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक उपकरण के अनुसार तैयार की जाती है तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को भेजी जाती हैं। आगे एआरडीज़ की एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) पर प्राप्ति पर, स्थानीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों (आईएफए) द्वारा जांच के बाद उनकी स्थानीय खरीद, अर्थात जो स्वदेशी रूप से उपलब्ध हो, के अधीन मदों को ध्यान में रखते हुए, जांच की जाती है। स्थानीय खरीद के अधीन मदों के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत खरीद हेतु एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा डब्ल्यूईडी को मांगपत्र दिया जाता है। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/डब्ल्यूडीई द्वारा जारी की गई मांग के विरूद्ध खरीद के लिए, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने शस्त्र खरीद समिति-3 (डब्लूपीसी-3) का गठन किया है।

शेष मदों की अधिप्राप्ति की प्रगति डी.डब्ल्यु.ई., आई.एच.क्यु. एम. ओ. डी. (नौसेना) के सहमति से या मंत्रालय में किया जाता है, यदि अनुमानित मूल्य एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को प्रत्योजित शक्तियों से अधिक हो। अनुमानित लागत गत् क्रय मूल्य (एलपीपी) पेशेवर अधिकारी के मुल्यांकन (पी ओ व्ही) तथा बजटीय दरों (बीक्यू) के आधार पर परिकलित की जाती है। जब कभी अनुबंध को एआरडी मदों के लिए एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) पर संपन्न किया जाता है, तो संबंधित डब्लूईडीज़ को उन्हें प्रेषित अनुबंध की एक प्रति द्वारा सूचित कर दिया जाता है। अनुबंधित मदें, एआरडीज़ का अगला चक्र बनाते समय डब्ल्यूईडीज़ द्वारा "डयूज़ इन" मानी जाती है तथा वे मदें जो अनुबंधित नहीं की जा सकी, डब्ल्यूईडीज़ द्वारा आगामी एआरडीज़ में शामिल कर ली जाती है, यदि मांग त्रुटिपूर्ण मॉडयूल्ज़/रिवर्स इंजीनियरिंग की स्वदेशी मरम्मत के माध्यम से पहले ही स्थानीय रूप से पूरी न की गई हो।

4.1.6.2 2009, 2010 तथा 2011 के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को प्रेषित एआरडीज़, जैसे कि डब्ल्यूईडी (मुम्बई) तथा डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) से पता चला, कर सार नीचे दिया गया है:

तालिका ए

एआरडी चक्र	डब्ल्यूईडी (मुम्बई)		डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम)	
	एआरडीज़ की कुल संख्या	कुल प्रक्षेपित मदें	एआरडीज़ की कुल संख्या	कुल प्रक्षेपित मदें
2009	84	2376	61	2613
2010	94	4308	66	2523
2011	85	1307	63	1862
जोड़ -	263	7991	190	6998
प्रेषित एआरडीज़ की कुल सं. 263+190=453 जिनमें 7991+6998= 14989 मदें निहित थी				

हमारी संवीक्षा के दौरान एआरडीज़ तैयार करने में पाई गई अक्षमताओं की पैरा संख्या 4.1.6.3 से 4.1.6.8 में चर्चा की गई है:

4.1.6.3 एआरडीज़ के एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) प्रस्तुतिकरण की तिथियों का पालन न करना

एआरडीज़ तैयार करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम का समय - समय पर डीडब्लूई, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रचारित कार्यक्रम के अनुसार अनुसरण करना होता है। डीडब्ल्यूई, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने वर्ष 2009 के लिए डब्ल्यूईडीज़ द्वारा एआरडीज़ के प्रस्तुतिकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं का। तथापि, डब्ल्यूईडीज़ द्वारा एआरडीज़ के प्रस्तुतिकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। तथापि, डब्ल्यूईडी (मुम्बई), ने उस वर्ष के लिए एआरडीज़ प्रचारित करने के लिए स्वयं के लिए तिथियां निर्धारित की थी, जबकि डब्ल्यूईडी (विशाखपट्टनम) ने वर्ष 2009 के लिए एआरडीज़ एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को प्रेषित करने के लिए स्वयं के लिए तिथियां निर्धारित नहीं की। डीडब्ल्यूई, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा एआरडीज़ 2010 तथा 2011 की समय सीमा प्रचारित की गई थी (जनवरी 2011 तथा जनवरी 2012)।

हमने प्रस्तुतिकरण की प्रचारित तिथियों की तुलना (अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर 2013) एआरडीज़ के प्रस्तुतिकरण की वास्तविक तारीखों के साथ की और पाया कि अधिकतर एआरडीज़ डब्ल्यूईडीज़ द्वारा विलम्ब से प्रेषित की गई थी जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका बी

ए आरडी चक्र	**डब्ल्यूईडी (मुम्बई)**		**डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम)**	
	भेजी गई एआरडीज़ की कुल संख्या	विलम्बित एआरडीज़ की संख्या	भेजी गई एआरडीज़ की कुल संख्या	विलम्बित एआरडीज़ की संख्या
2009	84	73	61	*
2010	94	88	66	66
2011	85	85	63	42
जोड़	**263**	**246**	**190**	**108**

* डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) ने 2009 के लिए एआरडीज़ के प्रस्तुतिकरण की तिथियां प्रचारित नहीं की।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 2009, 2010 तथा 2011 के लिए डब्ल्यूईडी (मुम्बई) पर 263 एआरडीज़ में से, 246 एआरडीज़ डीडब्ल्यूई, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को देय तिथियों के बाद भेजी गई थी। इस प्रकार अधिकतर एआरडीज़ अर्थात 93.54 प्रतिशत में विलम्ब देखा गया था।

2010 तथा 2011 के लिए डब्ल्यूई डी (विशाखापट्टनम) पर 129 एआरडीज़ की इसी प्रकार की संवीक्षा ने दर्शाया कि 108 एआरडीज़ विलम्ब से भेजी गई थी। यह 83.72 प्रतिशत एआरडीज़ को निरूपित करता था।

आगे हमने विलम्ब की सीमा अर्थात एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को एआरडीज़ प्रेषित करने में विलम्ब की मात्रा का भी विश्लेषण किया (सितम्बर, अक्तूबर 2013)। विलम्ब के परिणाम नीचे तालिका बद्ध किए गए हैं

तालिका सी

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को एआरडीज़ भेजने में विलम्ब का महत्त्व

वर्ष	डब्ल्यूईडी (मुम्बई)				डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम)			
	समय पर भेजी गई एआरडी	100 दिन तक का विलम्ब	100-200 दिन के बीच विलम्ब	200 से अधिक दिन का विलम्ब	समय पर भेजी गई एआरडी	100 दिन तक का विलम्ब	100-200 दिन के बीच विलम्ब	200 से अधिक दिन का विलम्ब
2009	11	17	43	13	*	*	*	*
2010	06	56	15	17	-	27	39	निल
2011	निल	28	49	08	21	-	निल	42
जोड़	**17**	**101**	**107**	**38**	**21**	**27**	**39**	**42**

* डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) ने 2009 के लिए एआरडी के प्रस्तुतिकरण की तिथियां प्रचारित नहीं की।

जैसा कि उपर बताया गया है डब्ल्यूईडी (मुम्बई) तथा डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) पर कुल एआरडी़ के प्रति 3 महीने से अधिक तक (वर्ष 2009 से 2011) विलम्वित एआरडी की प्रतिशतता क्रमशः 55.13 प्रतिशत से 62.79 प्रतिशत बनती है।

चूँकि शुरूआती स्तर पर ही अर्थात एआरडीज़ तैयार तथा प्रस्तुत करने में काफी विलम्ब हुआ था, अतः समस्त अनुक्रमिक प्रक्रियाओं पर प्रपाती विलम्ब का प्रतिकूल बाधित प्रभाव पड़ा।

हमने एआरडीज़ तैयार करने के लिए प्रचारित समय-सीमा का पालन न करने पर डीडब्ल्यूई, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) की टिप्पणी मांगी (नवम्बर 2013)। उत्तर में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने कहा (दिसम्बर 2013) कि यद्यपि वह डब्ल्यूईडी के परामर्श से एआरडी़ तैयार करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम प्रचारित कर रहा था, तथापि दिशानिर्देशों के माध्यम से तथा एआरडी कार्यशलाएं आयोजित करके समय - सीमा पर पुनः जोर दिया जाएगा।

वास्तव में प्रत्युत्तर में इस बात को स्वीकार किया गया है कि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), एआरडी के प्रस्तुतिकरण हेतु प्रचारित अपनी समय सीमा का अनुपालन नहीं कर सका।

अपने बाद के उत्तर (अगस्त 2014) में एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने अपना मत बदल लिया और कहा कि डब्ल्यूईडी को एआरडी तैयार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने विलम्ब की मात्रा को स्वीकार किया और इसके जो कारण बताए वो थे बढ़ी हुई इनवेंट्रीज, मानव शक्ति की रूकावटें, एआरडी तैयार करने की हस्तगत प्रणाली तथा एआरडी की जांच में स्थानीय आईएफए द्वारा लिया गया समय। उनहोंने यह भी कहा (अगस्त 2014) कि कार्यक्रम को एक कैलेण्डर वर्ष में मांग की वार्षिक समीक्षा पूरी करने के लिए प्रचारित किया गया था, जबकि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि उपलब्ध स्त्रोंतों के साथ उसे पूरा करना सम्भव नहीं होगा।

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का उत्तर स्वीकार्य नहीं था। डब्ल्यूईडी द्वारा एआरडी तैयार करने के क्रमिकरण के संबंध में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का तर्क, वस्तुतः सही नहीं था, क्योंकि 2010 तथा 2011 के लिए एआरड़ी का कार्यक्रम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रचारित किया गया था, जिसमें डिपों को स्पष्टतः एआरडी सही समय पर भेजने के लिए कहा गया था ताकि वे निर्धारित तिथि तक पहुंच जाएं। जबकि मानवशक्ति तथा बढी हुई मांग ने एआरडी के समय पर प्रस्तुतिकरण में बाधा के रूप में कार्य किया होगा, तथापि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रचारित एआरडी बनाने में स्पष्टतः प्रचलित बाधाओं को ध्यान में रखा गया होगा इसके अतिरिक्त, हमारे विश्लेषण (सितम्बर तथा अक्तूबर 2013) ने दर्शाया कि डब्ल्यूईडी (मुम्बई) तथा डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) को क्रमशः 88.5 प्रतिशत तथा 63.3 प्रतिशत एआरडी जांच हेतु संबंधित आईएफए को एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) की प्रचारित तिथि के बाद ही भेजी गई थी। अतः यह तर्क कि विलम्ब आईएफए के कारण हुआ था, सही नही था।

एआरडी प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण मांग पत्र बनाने, ऑर्डर देने में विलम्ब जैसे नकारात्मक परिणाम हुए जिसके कारण डब्ल्यूइडी, जहाज़ों आदि को शस्त्र भण्डार आपूर्ति करने में विफल रहे जिसका परिचालन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एआरडी में विलम्ब के कारण मांग अगली एआरडी में भी शामिल नहीं हो पाई। इसका स्पष्टतः विलम्बित खरीदों के अतिरिक्त लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

4.1.6.4 एआरडी बनाने में त्रुटियां तथा चूक

विलम्ब के बावजूद, डब्ल्यूईडीज़ द्वारा बनाई गई एआरडीज़ त्रुटि-मुक्त नहीं थी। हमारे निष्कर्ष निम्न तालिका में तालिका बद्ध किए गए है:

तालिका डी

क्र. सं.	एआरडीज़ बनाने के संबंध में अपेक्षा	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1. केलेण्डर वर्ष फॉमैट का पालन न करना	एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) दिशानिर्देशों (जुलाई 2008 तथा 2011) के अनुसार, एआरडी एक केलेण्डर वर्ष अर्थात 01 जनवरी से 31 दिसम्बर की अवधि के लिए बनाए जाते हैं।	डब्ल्यूईडी (मुम्बई) पर एआरडीज़ की संवीक्षा (सितम्बर 2013) ने दर्शाया कि इसमें कई विचलन थे, तथा डिपों ने इस अपेक्षा का पालन नहीं किया। वर्ष 2009, 2010 तथा 2011 के लिए बनाए गए क्रमशः 84, 94 तथा 85 एआरडीज़ में से, 27, 10 और 03 एआरडीज़ में केलेण्डर वर्ष फार्मेट का का पालन नहीं किया गया था। ये 40 एआरडीज़ 8 महीने से 31 महीने के बीच के चक्र के लिए बनाए गए थे। एआरडी 2009 के लिए डल्यूईडी (विशाखापट्टनम) पर एआरडीज़ (अक्तूबर 2013) की इसी प्रकार की संवीक्षा ने दर्शाया कि 30 एआरडीज़ में केलेण्डर वर्ष चक्र का पालन नहीं किया गया था क्योंकि 2009 के लिए ये एआरडीज़ 2009 के दौरान ही भेजी गई थी। इन 30 एआरडीज़ के लिए तैयारी का चक्र निर्दिष्ट नहीं था।

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की (अगस्त 2014), परन्तु स्पष्ट किया कि परिचालन आकस्मिकताओं के कारण तत्काल खरीद का ही सहारा लेना पड़ा, इसलिए एआरडी कार्यक्रम को 2009 में पहले कर दिया गया था। उन्होने यह भी कहा कि उसमें कोई वित्तीय हानि अथवा अनियमितता नहीं थी। जबकि वित्तीय हानि अथवा अनियमितता का मामला असंगत है, क्योंकि मामला एआरडीज़ में कमी के अभाव को दर्शाता है, एआरडी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रलेखित साक्ष्य से समर्थित नहीं था। इसके अतिरिक्त उत्तर में एआरड़ी के कैलेण्डर वर्ष से बढ़ने का भी जिक्र नहीं था।		
2. एआरडी बनाते समय ड्यूज़ इन को ध्यान में न रखना।	एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के दिशानिर्देशों (जुलाई 2008 एवं 2011) के अनुसार, एआरडीज़ बनाते समय पहले से ही मांगी गई/आर्डर की गई मदें ड्यूज़ इन के रूप में दर्शाई जाएंगी।	लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि पी-15 के गरपुन बेल उपकरण के लिए, एआरडी 2007 के प्रति जून 2010 मे आदेशित 3 प्रकार के पुर्जों को 01 जनवरी 2009 से 31 अक्तूबर 2010 की अवधि के लिए दिसम्बर 2010 मे एआरडी प्रेषित करते समय डयूज़ इन को ध्यान मे नहीं रखा गया था। इसके कारण मार्च 2012 के अनुबंध के प्रति ₹86.81 लाख मूल्य के पुर्जों की खरीद करनी पड़ी।
एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने कहा (दिसम्बर 2013) कि डिपों मे भविष्य की खरीदी में स्टॉक की स्थिति का पता लगाया जाएगा, और अनजाने से हुई त्रुटि के रूप में तथ्य स्वीकार किया (अगस्त 2014)।		
3. एआरडी बनाते समय उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में न रखना।	दिशानिर्देशों (जुलाई 2008 और 2011) के अनुसार पीक्यू की गणना करते समय समुचित ध्यान रखा जाना आवश्यक है तथा गणना का आधार उपभोग	डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) पर लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि गरपुन बल ई 1 उपकरण के लिए, डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) द्वारा एआरडी 2008 तैयार करते समय, उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में नहीं

	पैटर्न, एमएसएल, डयूस आउट, डयूस इन और स्टॉक होना चाहए।	रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹66.70 लाख मूल्य के पुर्जों की अधिक खरीद हुई।
एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने अनजाने में हुई त्रुटि के रूप में निष्कर्ष स्वीकार किए (अगस्त 2014)।		

4.1.6.5 एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) पर एआरडीज़ की प्रोसेसिंग

हमारी संवीक्षा (नवम्बर 2013) में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) पर एआरडी की प्रोसेसिंग में कई अक्षमताएं दर्शाई गई। विवरण नीचे दिए गए हैं;

डीपीएम 2009 में खरीद की एकल बोली प्रणाली के लिए 17 से 19 सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की गई है। हमने देखा (नवम्बर 2013) कि एआरडी 2009 तथा 2010 के विरूद्ध, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा नवम्बर 2013 तक कुल 15 अनुबंध किए गए थे तथा इन अनुबंधों को अन्तिम रूप देने में लिया गया समय 34 सप्ताह से 149 सप्ताह था। इस प्रकार अनुबंधों को अन्तिम रूप देने में कम से कम न्यूनतम 15 से अधिकतम 130 सप्ताह का अधिक समय लगा। वास्तव में, कोई भी अनुबंध निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) की एक आन्तरिक प्रक्रिया - सैद्वान्तिक रूप से मंजूरी (एआईपी) के मामले का प्रस्तुतिकरण, विलम्ब से पूरा किया जा रहा था, जैसा कि हमने देखा (नवम्बर 2013) कि सैद्वान्तिक रूप से मंजूरी (एआईपी) प्राप्त करने के लिए मामले के प्रस्तुतिकरण हेतु भी रक्षा मंत्रालय (नौसेना) पर लिया गया औसत समय, अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के लिए निर्धारित 19 सप्ताह के विपरीत 21 सप्ताह था।

हमारी संवीक्षा (मई 2014) ने यह भी दर्शाया कि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) पर एआरडीज़ पर आधारित अनुबंधों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब की सीमा अधिक थी तथा वर्ष की एआरडी से उद्भूत खरीद पूरी नहीं थी, हालांकि उसी उपकरण के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में अगली एआरडी प्राप्त हो गई थी। निम्नलिखित तालिका में उक्त मुदा और अधिक स्पष्टता से दर्शाया गया है।

तालिका ई

क्र. सं.	एआरडी चक्र	परियोजना	उपकरण	आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को एआरडी प्रेषित करने की तिथि	अनुबंध की तिथि	एआरडी चक्र तथा डिपो से अगली एआरडी भेजने की तिथि	
1.	2009	पी-15	टी-91 ई	24.11.10	28.03.12	2010	25.08.11
2.	2009	पश्चिमी	बराक	21.10.10	12.09.13	2010	08.10.12
3.	2010	1135.6	फ्रिगेट एमएई	09.05.11	26.12.12	2011	09.07.12
4.	2009	1135.6	3 आर - 91 ई 1 सेम अग्नि नियंत्रण प्रणाली	19.12.10	02.03.12	2010	28.04.11
5.	2009	पी-15	कश्मीर कॉम्पलेक्स	24.11.10	13.03.12	2010	26.08.11
6.	2009	1135.6	ए-190 ई गन माउंटिंग एफसीएस पुमा	20.01.10	09.06.11	2010	09.05.11
7.	2009	1135.6	राडार फ्रिगेट एम 2 (ई) एम	19.12.10	23.11.11	2010	09.05.11
8.	2009	1135.6	एएसओआर	30.04.10	24.04.12	2010	28.04.11
9.	2009	1241 पीई	पोज़िटिव ई	04.10.10	20.09.12	2010	31.10.11

उत्तर (अगस्त 2014) में, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने कहा कि:

(i) डीडब्ल्यूई पर एआरडी प्राप्त होने के पश्चात, खरीद प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पहला चरण, सीएफए स्थापित करने के लिए एक मांग-पत्र का सृजन था, जिसके बाद मामला एआईपी के लिए शुरू किया गया था। यदि एल पी पी उपलब्ध न हो तो मांग करने के लिए ओ.ई.एम. से बजटीय कोट (बीक्यू) भी अपेक्षित है, ताकि एआरडी की प्राप्ति के पश्चात् प्रक्रिया में 16-20 सप्ताह का अधिक समय लग सकता है।

(ii) एआरडी की प्राप्ति से अनुबंध को अन्तिम रूप देने के लिए सर्वोतम समय 12 महीने है। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा पूरे किए गए 15 अनुबंधों की हमारी संवीक्षा (नवम्बर 2013) ने दर्शाया कि 13 अनुबंधों में, एआरडी पुर्जों की खरीद के लिए मांग नही की गई थी, मदों की अनुमति लागत केवल उपलब्ध एलपीपी/पीओवी दरों के आधार पर ही परिकल्पित की गई थी तथा ओईएम से बीक्यू बिल्कुल नहीं मंगाए गए थे। उपर्युक्त 15 अनुबंधों में से, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने 12 महीने के अन्दर केवल 2 अनुबंध ही पूरे किए थे।

वस्तुतः, पिछली एआरडी के प्रति, विलम्बित खरीद कार्रवाई के कारण एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के पास उपलब्ध बाद की एआरडीज़ की उपेक्षा हुई। इसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां वर्तमान सूचना/डॉटा, जो खरीदी जाने वाली मदों की मात्रा के संबंध में बाद की एआरडी में उपलब्ध था, की उपेक्षा की जाती रही अथवा उसे नज़रअंदाज किया जाता रहा। स्पष्टतः ऐसी स्थिति में त्रुटिपूर्ण प्रबंध व्यवस्था की संभावना थी तथा ऐसे एक दृष्टांत का विवरण जिसमें खरीद कार्रवाई जहां रू 2.11 करोड़ मूल्य की मदों की व्यवस्था देखी गई थी, नीचे दिया गया है:

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने एआरडी 2008 प्रोसेस की तथा रू 8.75 करोड़ की लागत पर मेसर्स. रोसोबोरोन सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड के साथ जून 2011 में सरफेस टू एयर मिसाईल, अग्नि नियंत्रण प्रणाली (एफसीएस) के लिए 17 प्रकार के पुर्जों के लिए एक अनुबंध को अन्तिम रूप दिया (जून 2011)। इसी बीच, अगली एआरडी 2009, जो एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को दिसम्बर 2010 में भेजी गई थी, में चार प्रकार के पुर्जों के बीच, दिसम्बर 2010 तक, पुर्जों की खरीद की कोई आवश्यकता नहीं थी। तथापि, ये चार प्रकार के पुर्जे मै. रोसोबोरोन सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड के साथ हुए अनुबंध (जून 2011) में

खरीदे गए थे। इससे यह पता चलता था कि बाद की एआरडी की उपेक्षा के कारण रू 2.11 करोड़ मूल्य के पुर्जों की अधिक खरीद हुई।

अपने उत्तर में, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) कि इन पुर्जों के लिए एआरडी 2009 मांग के दोरान ये पुर्जे शामिल नहीं किए गए थे। उसी समय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने यह भी आश्वस्त किया कि भावी एआरडी के लिए, डब्ल्यूईडी पर स्टॉक स्थिति का पुर्जों की खरीद के लिए एआरडी की प्रोसेसिंग से पूर्व ही पता लगा लिया जाएगा।

तथापि, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने बाद में अपना मत बदल लिया और कहा (अगस्त् 2014) कि वस्तुतः आपत्ति गलत थी और यह भी कहा कि एक बार के मद के एक एआरडी में खरीद के अघ्याधीन होने पर, उसे अगली एआरडी में नहीं दर्शाया जाएगा, तथापि, इसका अर्थ यह नहीं था कि मद की और आवश्यकता नहीं थी।

हमने पाया कि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का उत्तर गुमराह करने वाला था क्योंकि चार मदें एआरडी 2009 में बिल्कुल भी नहीं दर्शाई गई थी अर्थात इन मदों की जरूरत नहीं थी। यह स्पष्टतः दर्शाता था कि मांग थी ही नहीं जिसके कारण अधिक खरीद हुई।

4.1.6.6 एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा डब्ल्यूईडीज़ से मांग में अत्याधिक विलम्ब

डीपीएम 2009 में आरएफपी की फ्लोटिंग के लिए मांगपत्र की जांच और पंजीकरण के लिए चार सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है। तथापि हमारी संवीक्षा (मई 2014) ने दर्शाया कि 2009,2010 तथा 2011 के एआरडीज़ के प्रति 112 मांगें की गई थी (अक्तूबर 2013 तक), जिनमें एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा असाधारण विलम्ब किया गया था क्योंकि उसने डब्ल्यूईडी (मुम्बई) पर की गई 85 मांगों में से 48 मांगें पूरी करने में 10 सप्ताह से अधिक का समय लिया था (जो की गई मांग के 56.47 प्रतिशत को निरूपित करता था)। यह आंकड़ा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के साथ डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) पर की गई मांग से बहुत अधिक था जिसमें 27 मांगों में से 18 मांगों को पूरा करने के लिए 10 सप्ताह लिए गए थे जो 66.67 प्रतिशत को निरूपित करता था। निम्नलिखित तालिका में उपर्युक्त का सारांश दिया गया है:

तालिका एफ

डिपो	डब्ल्यूईडी (मुम्बई)				डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम)				
एआरडी चक्र	2009	2010	2011	**जोड़**	2009	2010	2011	**जोड़**	**कुल जोड़**
की गई मांगों की सँख्या	28	33	24	**85**	5	12	10	**27**	**112**
समय पर (4 सप्ताह तक)	6	8	7	**21**	0	0	2	**2**	**23**
विलम्ब (5 से 9 सप्ताह)	5	6	5	**16**	0	3	4	**7**	**23**
विलम्ब (10 सप्ताह तथा अधिक)	17	19	12	**48**	5	9	4	**18**	**66**

अपने उत्तर में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने तथ्य स्वीकार किए (अगस्त 2014), तथापि कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई समय सीमा,मांग जारी करने के लिए समय सीमा के अतिरिक्त थी।

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित समय सीमा डीपीएम-09 के परिशिष्ट ए के अनुसार थी जिसमें मांगपत्र की जांच तथा पंजीकरण के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था।

4.1.6.7 मांग-पत्रों के प्रति खरीद में विलम्ब

डीपीएम 2009 के अनुसार, मांगपत्र की जांच तथा पंजीकरण से आपूर्ति आदेश देने/अनुबंध खरीद को हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित समय सीमा 23 सप्ताह है। तथापि, संवीक्षा (मई 2013) ने दर्शाया कि एआरडीज़ 2009,2010 तथा 2011 के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा की गई 112 मागों के (अक्तूबर 2013 तक), केवल 20 मागों के क्रय आदेश दिए गए थे (अक्तूबर 2013 तक)। इस प्रकार की गई मांग की केवल 17.85 प्रतिशत मांग ही आपूर्ति आदेश में क्रियाशील/परिवर्तित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, आपूर्ति आदेश देने में असाधारण विलम्ब किया गया था। जबकि पीओज़ के रूप में 23 सप्ताह के अन्दर परिपक्व होने वाले मांग-पत्रों की संख्या डब्ल्यूईडी (मुम्बई) तथा डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) प्रत्येक पर एक-एक थी, पीओज़ के रूप में 23 सप्ताह के बाद परिपक्व होने वाली मांगों की संख्या डब्ल्यूईडी (मुम्बई) पर 13 तथा डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) पर 05 थी। नीचे दी गई तालिका जी में निष्कर्षों का सार दिया गया है:

तालिका जी

डिपो	**डब्ल्यूईडी (मुम्बई)**				**डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम)**			
एआरडी चक्र	2009	2010	2011	**जोड़**	2009	2010	2011	**जोड़**
की गई मांगों की संख्या	28	33	24	**85**	5	12	10	**27**
उन मांगों की संख्या जिनके प्रति क्रय आदेश दिए गए थे।	10	3	1	**14**	4	1	1	**6**
उन मांगों की संख्या जिनके प्रति डीपीएम निर्धारित सीमा (23 सप्ताह) के अन्दर क्रय आदेश दिए गए थे।	निल	निल	1	**1**	1	निल	निल	**1**
उन मांगों की संख्या जिनके प्रति क्रय आदेश डीपीएम निर्धारित सीमा (23 सप्ताह) के बाद दिए गए थे।	10	3	निल	**13**	3	1	1	**5**

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने अपने उत्तर (अगस्त 2014) में उपर्युक्त निष्कर्ष स्वीकार किए तथा उक्त विलम्ब के कारण-बीक्यूज़ प्राप्त करने में विलम्ब, छोटा विक्रेता आधार, मानवशक्ति की कमी तथा जांच के लिए वित्तीय सहमति प्राप्त करने में पुनरावृत्तियां बताई।

4.1.6.8 एआरडीज़ की परिपक्वता की दर

चूंकि हमने एआरडीज़ की तैयारी तथा प्रोसेसिंग में विलम्ब देखा, अतः हमने एआरडीज़ की परिपक्वता पर इन विलम्बों के प्रभाव के आकलन का प्रयास किया और पाया कि एआरडीज़ की परिपक्वता की दर (अक्तूबर 2013) निम्न प्रकार से थी:

तालिका एच

डिपो	डब्ल्यूईडी (मुम्बई)			डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम)		
एआरडी चक्र	2009	2010	2011	2009	2010	2011
एआरडी में प्रक्षेपित कुल मदें	2376	4308	1307	2613	2523	1862
एआरडी में उन मदों कीं सँख्या जिनके लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा अनुबंध पूरे किए गए।	396	38	निल	निल	42	निल
एआरडी में उन मदों की सँख्या जिनके लिए डब्ल्यूईडीज़ द्वारा की गई मांगों के प्रति क्रय आदेश दिए गए।	226	22	1	671	78	1
कुल मदों कीं सँख्या जिनके लिए अनुबंध पूरे किए गए तथा क्रय आदेश दिए गए।	622	60	1	671	120	1
प्रतिशत में परिपक्वता की दर	26.18	1.39	0.08	25.68	4.76	0.05

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि एआरडी मार्ग के माध्यम से शस्त्र पुर्जों की परिपक्वता दर कम थी, उसमे विलम्ब भी बहुत अधिक था। उदाहरण के तौर पर एआरडी 2009 के प्रति, अक्तूबर 2013 तक डब्ल्यूईडी (मुम्बई) तथा डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) के लिए परिपक्वता दर लगभग 26 और 25 प्रतिशत थी अर्थात एआरडी चक्र के मांग प्रक्षेपित करने के बाद लगभग तीन वर्ष।

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने स्वीकार किया (अगस्त 2014) कि वास्तव में एआरडीज़ बनाने में विलम्ब था तथा अनुबंधों को पूरा करने में काफी विलम्ब था तथा उसने

उनके कारण मानवशक्ति की उपलब्धता, राजस्व बजट की बाधाएं आदि बताई, और माना कि ये विलम्ब उनसे बाहर के थे।

4.1.6.9 की गई मांगों का अनुपालन

डब्ल्यूईडीज़ का एक प्रमुख कार्य जहाजों, पनडुब्बियों, मिसाईल तकनीकी स्थापनाओं, स्थापनाओं तथा गोदीबाडों को भण्डार जारी करना, अर्थात जहाजों तथा स्थापनाओं द्वारा की गई शस्त्र उपकरण पुर्जों की मांग पूरी करना है। मांग, एक मांग ईकाई (जहाज़, पनडुब्बी अथवा स्थापना) द्वारा एक स्टॉकिंग डिपो को की गई एक मद की परिमात्रित तथा समय-मापक्रमित मांग है अर्थात एक विशिष्ट मद के लिए संख्याओं में व्यक्त की गई निश्चित मांग, जिसे समय पर आपूर्ति करना होता है।

नौसेना के आदेश 08/2010 में यह अनुबद्व था कि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को डब्ल्यूईडी की वार्षिक रिपोर्ट में डब्ल्यूईडी़ द्वारा प्राप्त अनुपालन दर निहित होनी चाहिए। तथापि, डब्ल्यूईडी द्वारा अनुपालन दर परिकलित करने के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा स्पष्ट निदेश विधमान नहीं थे।

डब्ल्यूईडी (मुम्बई)

अनुपालन दर पर विवरण के लिए हमारी मांग (जुलाई 2013) पर, डब्ल्यूईडी (मुम्बई) ने बताया कि वर्ष 2010-2011, 2011-2012 तथा 2012-2013 के लिए अनुपालन दर क्रमशः 84.98, 84.20 तथा 78.20 प्रतिशत थी।

तथापि, हमारी संवीक्षा (अक्तूबर 2013) ने दर्शाया कि डिपो ने मांग अनुपालन की गणना 'अन्तर डिपो अन्तरण' शामिल करके तथा 'वापिस की गई मांगों' तथा मांगों से पूर्व स्टाक न की गई (एनएसबी) मांगों को छोड़कर की गई जो लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं थी क्योंकिः

i) अन्तर-डिपो अन्तरण (आई डी टी), एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के आदेशों पर एक डिपो से दूसरे डिपो को पुर्जों का अन्तरण निरूपित करते हैं। आई डी टी के प्रति किए गए निर्गम, प्रापक डिपो के अनुपालन में प्रदर्शित होगा जिससे अन्तरित पुर्जों की दोहरी गिनती होगी। उत्तर में, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने जवाब दिया (अगस्त 2014) कि आईडीटी़ समग्र डिपों निष्पादन में प्रदर्शित

होनी थी, फिर भी स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में दोहरे अनुपालन लेखाकरण को बढ़ावा दिया।

(ii) डब्ल्यूईडी द्वारा स्वीकार न की गई तथा प्रयोक्ताओं को वापिस की गई मांगें, वापिस की मांगों के रूप में परिभाषित की जाती हैं। तथापि, अवैध के रूप में वापिस की जाने वाली मांगों के लिए प्राधिकार तथा कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे। उत्तर में, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने कहा (अगस्त 2014) कि यदि मांगी गई मदें प्रयोक्ता को प्राधिकृत नहीं थी, निर्दिष्ट मद अधूरी थी तथा उसके साथ सर्वेक्षण विवरण अथवा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन नहीं थे या फिर मद डब्ल्यूईडी मांग-सूची से संबंधित नहीं थी तो मांगें अवैध के रूप में वापिस कर दी गई थी। तथापि, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने स्वीकार किया (अगस्त 2014) कि वापसी के कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।

वापिस की गई मांगें पूरी नहीं की गई थी, अतः वापसी के लिए कारण दर्ज किए बिना , उन पर विचार न करना इकाईयों तथा डिपों के बीच मांग सूची की पहचान के समक्रमण के अभाव का सूचक था तथा उसने प्रयोक्ताओं को डब्ल्यूईडी से यथार्थ फीडबैक तन्त्र उपलब्ध नहीं करवाया ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों की पुनरावृति से बचा जा सके।

(iii) पहले स्टॉक न की गई (एनएसबी) मदें वे मदें हैं जो डब्ल्यूईडीज़ मांग-सूची का भाग नहीं हैं। तथापि, इन मदों की मांग ने प्रयोक्ताओं द्वारा मदों की आवश्यकता दर्शाई। इसके उत्तर (अगस्त 2014) में, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने कहा कि एनएसबी मदें डब्ल्यूईडी मांग सूची का भाग नहीं थी तथा डब्ल्यूईडी का काम उन्हें स्टोर करना नहीं था।

(iv) इस आधार पर एनएसबी मदों की मांग पर ध्यान न देना कि वे डब्ल्यूईडी मांगसूची का भाग नहीं थी उचित नहीं था, क्योंकि यदि ये मदें डब्ल्यूईडी मांग सूची का भाग नहीं भी थी, तो भी मांगकर्ता इकाईयों द्वारा वास्तविक आवश्यकता के प्रति की गई मांगें वैध होने पर अनिवार्य रूप से पूरी की जानी थी। उनको निकाल देना, उपयोक्ताओं की मांग को पूरा किये बिना तथा डब्ल्यूईडी में उन मदों को स्टॉक न करने के कारणों की अनिवार्यता केवल मांग अनुपालन की स्थिति को पूरा करता था।

डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम)

डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) पर, हमने देखा (अगस्त 2013) कि यद्यपि अनुपालन दर के साथ वार्षिक रिपोर्ट, नौसेना आदेश 08/2010 के अनुसार वार्षिक रूप से बनाई जानी अपेक्षित है तथापि उक्त रिपोर्ट वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए नहीं बनाई गई थी।

वार्षिक रिपोर्ट तथा अनुपालन दर के अभाव में, हमने डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) (अगस्त 2013) के लिए अनुपालन दर बनाने का प्रयास किया तथापि लेखापरीक्षा के दौरान, डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) ने डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) द्वारा प्राप्त कुल मांगों के संख्या तथा उनके उत्तर (सितम्बर 2013, जनवरी 2014 तथा मार्च 2014) में इन मांगों के प्रति आपुर्ति संख्या के लिए अलग-अलग आंकड़े दिए थे।

विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में, हम डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) की अनुपालन दर का पता नहीं लगा सके। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने कहा (अगस्त 2014) कि डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) को 2014 से वार्षिक रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया गया था।

एकीकृत मुख्यालय ने कहा (अगस्त 2014) कि डब्ल्यूईडी द्वारा अनुपालन दर परिकालित करने के लिए स्पष्ट निदेश/पद्धतियाँ अब जारी कर दी गई थी।

उत्तर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डिपों द्वारा अनुपालन दर की गणना के लिए प्रणाली के संबंध में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा स्पष्ट निर्देश नहीं थे। चूंकि डब्ल्यूईडी का एक कार्य जहाज़ों आदि द्वारा की गई मांगों को पूरा करना था, अतः स्पष्ट प्रणाली के अभाव में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को इस कार्य के समुचित निर्धारण से वंचित कर दिया।

4.1.6.10 अपर्याप्त मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण

एआरडीज़ के माध्यम से प्रबंध-व्यवस्था की पुनःपूर्ति, की खरीद निर्धारित करने की वर्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य तीन वर्ष के औसत उपभोग को स्टॉक करना है। चूंकि "स्टॉक आऊट" गम्भीरता से क्षमता को विकृत कर देता है, अतः मांग सन्तुष्टि स्तर उसके अभीष्टतम सर्वोतम पर होना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है, एआरडी बनाने में काफी विलम्ब हुआ था, जिसकी वजह से शस्त्र तथा उपकरण पुर्जों की खरीद में विलम्ब हुआ था। यद्यपि, डीडब्ल्यूई एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने एआरडी तैयार करने तथा उन्हें अन्तिम

रूप देने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने हेतु डब्ल्यूईडी को परामर्श जारी की थी, तथापि इससे कोई सुधार नहीं हुआ था।

इसके अतिरिक्त, डीडब्ल्यूई, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के ढीले आन्तरिक नियंत्रण के कारण एआरडी 2009 में प्रक्षेपित 74 प्रतिशत पुर्जों के लिए अनुबंध पूरे नहीं किए जा सके।

एआरडी के पर्यवेक्षण हेतु विद्यमान सांस्थानिक तंत्र से, एआरड़ी तैयार करने और उन्हें अन्तिम रूप देने में विलम्ब से बचा जा सकता था, जिससे शस्त्र उपकरण पुर्जों की खरीद हेतु अनुबंध समय पर पूरे किए जा सकते थे।

इस पृष्ठपट़ के विरूद्ध, हमने देखा (अगस्त 2014) कि एआरडी की तैयारी की मॉनीटरिंग/पर्यवेक्षण करने, जांच करने तथा उन्हें समय पर पूरा करने के लिए डीडब्ल्यूई एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) पर अथवा डब्ल्यूईडी पर कोई सांस्थानिक तंत्र विद्यमान नहीं था।

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2014) किः

(i) डीडब्ल्यूई द्वारा डब्ल्यूईड़ी के वार्षिक निरीक्षण के दौरान, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को प्रस्तुत मांग-सूची में सभी मदों की समीक्षा की रिपोर्ट की जांच की जाती है।

(ii) एआरडी की परिपक्वता तथा प्रगति की स्थिति की डीडब्ल्यूई द्वारा त्रैमासिक मॉनीटरिंग की जाती है।

(iii) जहां एआरडी में विलम्ब हुआ था, वहां कमान मुख्यालय तथा डब्ल्यूईड़ी को आवश्यक संसूचन किया गया था।

(iv) डीडब्ल्यूई ने खरीद मामलों अर्थात स्थिति का विवरण, जारी आरएफपी, बेचंमार्किंग, सीएनसी अर्थात एआरड़ी की स्थिति का डॉटाबेस बनाया था तथा सामग्री नियंत्रक को त्रैमासिक रूप से प्रगति से अवगत कराया जाता था।

हमने एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां, डीडब्ल्यूई द्वारा मॉनीटर की गई एआरड़ी की परिपक्वता तथा प्रगति की स्थिति की त्रैमासिक रिपोर्ट की प्रतियां, एआरडीज में तेजी लाने के लिए अनुस्मारकों की प्रतियां, तथा डीडब्ल्यूई पर एआरडी की मॉनीटरिंग से संबंद्यित त्रैमासिक रिपोर्ट की प्रतियां भेजने का अनुरोध किया था

(अगस्त 2014)। तथापि, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2014)।

4.1.6.11 मरम्मत योग्य सामान का परिशोधन

डब्ल्यूईडी का एक कार्य, मरम्मत योग्य स्टॉक में रखे गए सभी शस्त्र पुर्जों की गोदीबाड़ों के माध्यम से अथवा मरम्मत की व्यापार को ऑफलोडिंग के द्वारा, ओईएम सहित, की मरम्मत की व्यवस्था करना है। यदि मरम्मत की लागत डब्ल्यूईडी की वित्तिय शक्तियों से अधिक हो तो एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) अथवा संबंधित कमान मुख्यालय, जो भी उचित हो, से आवश्यकता संस्वीकृति प्राप्त की जाती है।

मरम्मत की ज़रूरत इस तथ्य उत्पन्न होती है कि मरम्मत योग्य घोषित मदों की मरम्मत की जानी है तथा उन्हें स्टॉक में वापिस जोड़ना अपेक्षित है। मरम्मत इस लिए भी की जाती है क्योंकि नई मदों की खरीद पर ज्यादा खर्च होता है और इसमें अधिक समय लगता है।
डब्ल्यूईडी (मुम्बई) तथा डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) की 2010-11 से 2012-13 के वर्षों के मरम्मत योग्य माल की स्थिति निम्न तालिका के अनुसार थी:

तालिका जे

वर्ष	डब्ल्यूईडी (मुम्बई)				डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम)			
	2010-11	2011-12	2012-13	औसत	2010-11	2011-12	2012-13	औसत
वर्ष के शुरू में बकाया बीएलआर[1] मदें (ए)	2151	2860	3388	2800	99	250	276	208
वर्ष के दौरान जोड़ी गई मदें (बी)	723	542	594	620	218	153	140	170
मरम्मत के लिए कुल मदें (ए +बी)	2874	3402	3982	3419	317	403	416	379
मरम्मत की गई मदों की संख्या	14	14	41	23	67	127	73	89
वर्ष के दौरान कुल बकाया मदें	2860	3388	3941	3396	250	276	343	290

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, डब्ल्यूईडी (मुम्बई) के लिए, मरम्मत हेतु अपेक्षित कुल संख्या के प्रति मरम्मत थी तथा स्टॉक में शामिल की गई मदों की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त संख्या 0.41 प्रतिशत (2011-12) से 1.03 प्रतिशत (2012-13) के बीच रही।

जबकि डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) के लिए यह प्रतिशतता 17.55 प्रतिशत (2012-13) से 31.51 प्रतिशत (2011-12) के बीच रही।

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने स्वीकार किया (अगस्त 2014) कि यद्यपि माल की मरम्मत की व्यवस्था करना डब्ल्यूईडी का उत्तरदायित्व था, तथापि उसने कहा कि यदि गोदीबाड़ो अथवा निजी व्यापार के माध्यम से भी मरम्मत कराई जाती है, तो भी कागज़ी कार्य तथा क्रियाविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मानवशक्ति की आवश्यक्ता थी। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने यह भी कहा कि कई मरम्मत सुविधाएं शुरू करने में विलम्ब, मानवशक्ति के अभाव तथा निजी व्यापार के माध्यम के कराई जाने वाली मरम्मत के लिए वित्तीय अनुमोदन लेने में विलम्ब के कारण मरम्मत योग्य माल में वृद्धि हुई। तथापि, यह भी कहा गया था कि माल की मरम्मत के लिए डब्ल्यूईडी (मुम्बई) तथा डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) की एक समय बद्ध कार्य योजना बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए है।

4.1.6.12 निष्कर्ष

एआरडी, भावी योजना तथा पुनः पूर्ति के माध्यम से डब्ल्यूईड़ी द्वारा शस्त्र उपकरण भण्डार की व्यवस्था तथा खरीद के लिए की जाने वाली मानक विधि है। हमारी संवीक्षा दर्शाती है कि डब्ल्यूईडी (मुम्बई) की लगभग 94 प्रतिशत एआरड़ी, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को विलम्ब से, हमारे द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार तीन वर्ष में प्रस्तुत की गई थी। डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) के लिए तद्नुरूपी आंकड़ा 83.72 प्रतिशत था। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में डीडब्ल्यूई अपने भाग पर अधिक समय-सीमा पालन सुनिश्चित नहीं कर सका।

अधिक समय लिए जाने के बावजूद, एआरडी की तैयारी में अक्षमताएं तथा त्रुटियां देखी थी। हमारी नमूना-जांच में ऐसे उदाहरण दर्शाए गए जहां कुछ एआरड़ी डब्ल्यूईडी (मुम्बई) तथा डब्ल्यूईडी (विशाखापट्टनम) दोनों ने केलण्डर वर्ष फॉर्मेट का पालन नहीं किया, पहले से अनुबंधित मदों तथा उपलब्ध स्टॉक को अगले वर्ष की आवश्यकता दर्शाते समय ध्यान में नहीं रखा गया था। इन कमियों के कारण स्टॉक की अधिक व्यवस्था की संभावना थी। हमारी नमूना-जांच में इस अधिक व्यवस्था का मूल्य रू 1.53 करोड़ निकाला गया था।

---

[1] बीएलआर : स्थानीय मरम्मत से परे

वास्तविक व्यवस्था तथा खरीद कार्यवाई में डीडब्ल्यूई एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में काफी विलम्ब देखा गया था। एआरडी 2009 तथा 2010 के विरूद्ध किए गए 15 अनुबन्धों के प्रति 17 से 19 सप्ताह की निर्धारित समय-सीमा के बीच किसी भी अनुबन्ध को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, वास्तव में लिया गया समय 34 तथा 149 सप्ताह के बीच था। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) स्तर पर अनुबन्ध विलम्ब से देने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां डीडब्ल्यूई एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में अगली एआरडी, पिछली एआरडी में प्रक्षेपित अपेक्षित मदों के लिए अनुबंध पूरा होने से पहले प्राप्त हुई थी जिसके कारण बाद की एआरडी, में निहित नवीनतम उपलब्ध सूचना की अवहेलना हुई। हमारी नमूना-जांच में केवल एक मामले में रू 2.11 करोड़ का अधिक प्रावधान दर्शाया गया है।

मांग करने में विलम्ब, आरएफपी की जांच/पंजीकरण तथा निर्गम हेतु चार सप्ताह के प्रतिमान के प्रति, विलम्ब से जारी की गई कुल मांग का 79 प्रतिशत था। मांग-पत्रों की प्राप्ति के पश्चात् डब्ल्यूईडी पर खरीद कर्रवाई, में भी विलम्ब हुआ था, जिससे केवल 17 प्रतिशत मांग पत्रों के लिए ही आपूर्ति आदेश दिए गए थे।

उपर्युक्त का प्रयोक्ताओं द्वारा की गई मांग को पूरा करने में डब्ल्यूईडी की क्षमता पर प्रपाती प्रभाव पड़ा था। हमारी संवीक्षा ने दर्शाया कि मांग अनुपालन की गणना के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में, डिपुओं द्वारा अपनाई गई प्रणाली ने डब्ल्यूईडी का एक कार्य अर्थात मांगकर्ता इकाईयों को शस्त्र उपकरण भण्डार जारी करने की क्षमता का पता लगाने के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) की सहायता नहीं की।

हमारी समीक्षा ने यह भी दर्शाया कि मरम्मत-योग्य माल के परिसमापन में धीमी प्रगति थी।

सिफारिशें

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआरडी समय पर बनाने में आने वाली बाधाओं तथा रूकावटों की पहचान कर ली गई है तथा डब्ल्यूईडी द्वारा एआरडी तैयार करने में अशुद्धियों को उन कारणों के विश्लेषण से हटा दिया गया है जिनके कारण वे अशुद्धियां हुई थी, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के भाग पर शस्त्र उपकरण पुर्जों की आपूर्ति तथा स्टॉकिंग के लिए आगे की योजना की वर्तमान प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है।

2. एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को यह सुनिश्चित करके कि एक एआरडी के लिए खरीद कार्यवाही पूरी कर ली गई है, उसके पास लम्बित सभी एआरडी के परिसमापन का प्रयास करना चाहिए, जहां पिछली एआरडी पर कर्रावाई नहीं हुई, नवीनतम उपलब्ध एआरडी में उपलब्ध सूचना का हितकर रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।

3. डब्ल्यूईडी द्वारा मदों की स्थानीय खरीद के लिए मांग की प्रक्रिया एकीकृत मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (नौसेना) स्तर पर तेजी लाई जानी चाहिए।

4. मांग सन्तुष्टि का एक सुपरिभषित मापदण्ड विद्यमान होना चाहिए।

5. मरम्मत योग्य माल की मरम्मत के लिए, बेहतर प्रबंधित शस्त्र उपकरण मालसूची प्रणाली के बेहतर प्रबंधन के हित में एकीकृत रक्षा मंत्रालय मुख्यालय (नौसेना) तथा डब्ल्यूईडी पर संबंधित प्रयासों द्वारा तेजी लाई जानी चाहिए।

अनुबंधक प्रबंधन

4.2 पुनरादेश विकल्प को लागू करने में विफल रहने के कारण परिहार्य व्यय का होना

आई एन एस चीता के लिए मुख्य इंजन के एक सैट की खरीद के लिए किए हुए वर्तमान अनुबंद्य में उपलब्द्य पुनरादेश विकल्प को लागू करने में विफल रहने के कारण न केवल ₹0.70 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा लेकिन साथ ही नए मुख्य इंजनो की आपूर्ति में भी विलंब हुआ जो पोत को लगभग 5 वर्षो तक उपलब्द्य नहीं हो सके। इस दौरान भारतीय नौसेना को पोत का प्रचालन बनाए रखने के लिए आई एन एस चीता पर फिट किए हुए मुख्य इजंनो की अत्याधिक व अतिरिक्त रूटीन करने के लिए विवश होना पड़ा।

सामान्य वित्तीय नियमावली में अन्य नियमों के साथ यह भी समाकित है कि जन सेवाओं की निश्चित आवश्यक्ताओं के अनुसार ही अति किफायती तरीके से खरीददारी को किया जाना चाहिए। इसके साथ, रक्षा अधिप्राप्ती नियमावली (डी पी एम-2005) के प्रावधानुसार पिछले आदेश के सामने पुनरादेश एक व्यव्हार्य विकल्प है सशर्त कि बाजार सूचना में किए गए

जांच-पड़ताल के अनुसार से यह सुनिश्चत कर लिया गया है कि कीमतों में अधोमुखी प्रवृति न हो।

आई एन एस चीता के लिए अतिरिक्त पुर्जों सहित मुख्य इंजनो की अधिप्राप्ति की हमारी जांच से निम्न का पता चलाः

आई एन एस चीता के लिए ऑनबोर्ड अतिरिक्त पुर्जों सहित मुख्य इंजन के एक सैट की अधिप्राप्ति के लिए दिसंबर 2006 में प्रापण निदेशालय (डी पी आर ओ), एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने सांपतिक वस्तु प्रमाणपत्र (पी ए सी) के आधार पर मैसर्स किर्लोसकर ऑयल इंजिनस लिमिटेड, नासिक को संविदा आमंत्रनण जारी किया। जनवरी 2007 में फर्म ने अपनी ₹11.25 करोड़ की तकनीकी वाणिज्यिक संविदा डी पी आर ओ, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौ सेना) को दी। डी पी आर ओ ने पाया (मार्च 2007) कि इंडैट मूल्य ₹11.25 करोड़ (वैट सहित) होने के कारण इंडैट को रक्षा मंत्रालय से अनुमोदित कराना अपेक्षित था क्योकि भरतीय नौ सेना में संभारिकी नियंत्रक (सी ओ एल) को दी गई वित्तीय शक्तियों से यह अधिक मूल्य का था। इसलिए डी पी आर ओ, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने (मार्च 2007) निर्णय लिया कि आई एन एस गुलदर की समान आवश्यकत्ताओं के लिए एक और इंडैट को भी सम्मिलित कर लिया जाए ताकि अधिकाधिक संभव छूट को प्राप्त किया जा सके तथा रक्षा मंत्रालय से इन मामलों को एक बार में ही क्रियान्वित किया जा सके। मई 2007 में आई एन एस चीता तथा आई एन एस गुलदर के लिए अतिरिक्त पुर्जों व मुख्य इंजनो के दो सैटों की अधिप्राप्ति के लिए समेकित केस रक्षा मंत्रालय को भेजा गया। यद्यपि, 23 जनवरी 2008 को ही मंत्रालय ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मई 2008 में डी पी आर ओ, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने मैसर्स किर्लोसकर ऑयल इंजिनस लिमिटेड के साथ अलग-अलग ₹11.23 करोड़ के मूल्य पर (वैट सहित) अतिरिक्त पुर्जों व मेन इंजनो के दो सैटों की आपूर्ति के लिए दो अलग-अलग अनुबंध जारी किए। आई एन एस चीता के लिए इंजनो की आपूर्ति फरवरी 2010 तक होनी थी तथा आई एन एस गुलदर के लिए नवंबर 2009 तक होनी थी। वास्तविकता में इंजन अक्टूबर 2009 (आई एन एस गुलदर) तथा मार्च 2010 (आई एन एस चीता) में आपूर्तित हुए।

जबकि, हमारी जांच (अप्रैल 2011) दर्शाती है कि पी ए सी आधार पर नवंबर 2005 में डी पी आर ओ, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने मैसर्स किर्लोसकर ऑयल इंजिनस लिमिटेड,नासिक के साथ ₹9.65 करोड़ के मूल्य पर आई एन एस कुंभीर के लिए मुख्य इंजनो के एक सैट की अधिप्राप्ति के लिए अनुबंध किया था। इस अनुबंध में पुनरादेश खंड भी

सम्मिलित था जिसके अनुसार अनुबंध के सफलतापूर्वक संपूर्ण होने की दिनांक से 12 महीनों के भीतर ही समान नियमों/शर्तों तथा मूल्य पर क्रेता को अधिकार है कि यह विक्रेता को 100 प्रतिशत संख्या तक की आपूर्ति के लिए आदेश जारी कर सकता है। नवंबर 2005 में अनुबंध किए हुए इंजनों के सैट अगस्त 2006 में प्राप्त हो गए थे, इसलिए डी पी आर ओ के पास अगस्त 2007 तक समान नियमों/शर्तों तथा मूल्यों पर एक और इंजनो के सैट की अधिप्रप्ति का विकल्प उपलब्ध था।

दिसंबर 2006 में आई एन एस चीता के लिए मेन इंजनो के एक सैट की अधिप्राप्ति के लिए केस की प्रकिया करने के दौरान, डी पी आर ओ, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) नवंबर 2005 में मुख्य इंजनो के एक सैट की आपूर्ति के लिए किए गए अनुबंध में निहित पुनरादेश खंड के प्रावधानों को संज्ञान में लेने तथा लागू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, नई जारी की गई संविदा के अंतर्गत की गई अधिप्राप्ति के कारण ₹0.70[2] करोड़ परिहार्य व्यय हुआ जिसमें कर सम्मिलित नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, नई जारी की गई संविदा के अंतर्गत आई एन एस चीता के लिए मुख्य इंजनो के एक सैट की अधिप्राप्ति केवल मार्च 2010 में ही पूर्ण हो पाई जबकि मार्च 2008 में ही आई एन एस चीता को उसके रीफिट के दौरान इसकी अनिवार्यतः आवश्यकता थी। भारतीय नौसेना को ऑन बोर्ड आई एन एस चीता पर मुख्य इंजनो को फिट करने के कार्य को उत्तरवर्ती रीफिट यानि मीडियम रीफिट -13 (एम आर-13) में स्थगित करने पर विवश होना पडा। इसी दौरान, पोत को अगले परिचालन क्रम में परिचालित बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए आई एन एस चीता के वर्तमान इंजनो की लघु रीफिट -8 तथा लघु रीफिट -10 में विस्तृत तथा अतिरिक्त रूटीन[3] की गई।

प्रारम्भिक लेखा परीक्षा टिप्पणी (अप्रैल 2011) के प्रत्युत्तर में, डी पी आर ओ, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने जूलाई 2011 में स्वीकार किया कि पुनरादेश खंड को लागू किया जा सकता था; यद्यपि, अधिकतम छूट तथा मितव्ययता को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया। इसके साथ ही, यह भी स्वीकारा गया कि पिछले मूल्यों की तुलना में

---

[2] अगस्त 2008 के अनुबंध में मुख्य इंजन की मूल कीमत = ₹9.98 करोड़
अगस्त 2005 के अनुबंध में मुख्य इंजन की मूल कीमत = ₹9.28 करोड़

अंतर = ₹0.70 करोड़

[3] इंजन पर रूटीन अनुरक्षण कार्य है जो निर्धारित अंतराल पर एक इंजन पर किए जाते हैं।

प्रस्तुत किए गए मुल्य उच्च पाए गए तथा इसलिए वांछित मितव्ययता को नहीं प्राप्त किया जा सका।

अतः आई एन एस चीता के लिए मुख्य इंजनो के एक सैट की अधिप्राप्ति प्रकिया को पुनरादेश विकल्प में नहीं करने के कारण न केवल कर रहित ₹0.70 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा अपितु नए मुख्य इंजनो की आपूर्ति में भी विलंब हुआ जो पोत को लगभग 5 वर्षों तक उपलब्ध नहीं हो सके। इसी दौरान, भारतीय नौसेना को पोत का प्रचालन बनाए रखने के लिए ऑन बोर्ड आई एन एस चीता पर फिट किए हुए मुख्य इंजनो की विस्तुत व अतिरिक्त रूटीन करने के लिए विवश होना पड़ा।

मंत्रालय को मामला (मई 2014) भेज दिया गया था, प्रत्युत्तर अपेक्षित था (सितंबर 2014)।

4.3 एक वायुयान की मरम्मत पर हुआ अलाभकारी व्यय

एक सी - हैरियर प्रशिक्षक वायुयान की मरम्मत के लिए विभिन्न खंडो में कार्य करने का दृष्टिकोण अपनाने के कारण, ₹6.26 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा,क्योंकि वायुयान अतिरिक्त पुर्जों के अनुपलब्ध होने के कारण अनुपयोगी रहा।

भारतीय नौसेना द्वारा मरम्मत के लिए विभिन्न खंडो में कार्य करने का दृष्टिकोण अपनाने के कारण एक सी - हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) सात वर्षों से अधिक अनुपयोगी रहा। सी हैरियर बेड़े के अन्य वायुयानों की कमियों को दूर करने के लिए बीते हुए समय में वायुयान के अतिरिक्त पुर्जों की लगातार रॉबिंग होती रही। इस स्थिति के कारण, वायुयान पर हुए ईधन टैंक मरम्मत, केबल ऑडिट व मरम्मत[4] तथा पेंटिग पर हुआ ₹6.26 करोड़ का व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ। नीचे विस्तार में बताया गया है:-

अगस्त 2007 में फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन (एफ ओ एन ए) गोआ ने मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनैटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) द्वारा निर्माण प्रक्रम[5] हेतु एयरक्राफ्ट तथा इंजिन होल्डिगं यूनिट (ए तथा ई एच यू), आई एन एस अग्रणी को सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान

[4] एक वायुयान की इलैक्ट्रीकल वायरिंग को जांचने व मरम्मत करने के लिए केबल ऑडिट तथा मरम्मत एक प्रकिया है, जिसमें खराब हो चुकी व नष्ट हो चुकी वायुयान की वायरिंग को बदला जाता है।

[5] निर्माण प्रक्रम एक प्रक्रिया है जिसमें गहन स्तर की मरम्मत के व अनुरक्षण के स्तर से एक वायुयान का संपूर्ण निर्माण सम्मिलित है। इस प्रकिया में मुख्य प्लेन, इंजिन तथा अन्य मुख्य घटकों को निकाला जाता है, उनका विस्तृत निरीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक मरम्मत व निर्धारित कार्य किए जाते हैं।

(एच आर 654) आबंटित किया। इसके परिणामस्वरूप आई एन एस अग्रणी ने मैसर्स एच ए एल, बंगलौर को वायुयान के निर्माण प्रक्रम हेतु अक्तूबर 2007 में मरम्मत आदेश जारी किया। यद्यपि, भारतीय नौसेना द्वारा एक अन्य सी हैरियर वायुयान (एस एच 616),के अनिर्धारित कारण जिसका कार्य प्राथमिकता पर किया जाना था, मैसर्स एच ए एल को देने के कारण, मैसर्स एच ए एल ने सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) के मरम्मत का कार्य स्थगित कर दिया। हैडक्वार्टर्स नेवल एविएशन (एच क्यू एन ए) गोआ पर यह देखा गया कि जब सी हैरियर ए तथा ई एच यू, आई एन एस अग्रणी पर था, एक अन्य वायुयान (एस एच 616) की कमियों को दूर करने के लिए उसके विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों की विस्तृत रूप से रॉबिंग[6] की गई। भारतीय नौसेना वायुयान प्रकाशन (आई एन ए पी - 2) के प्रावधानुसार एच क्यू एन ए, गोआ द्वारा अतिरिक्त पुर्जों की रॉबिंग अधिकृत थी।

तदानुसार, जून 2008 में द्वितीय लाईन मरम्मत के लिए सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) को एयर इंजिनयरिग डिपार्टमेन्ट (ए ई डी) मरम्मत हैंगर को भेजा गया। अन्य वायुयानों के मरम्मत के कार्य भार के कारण तथा जनशक्ति, अतिरिक्त पुर्जो की आवश्यकता के कारण मैसर्स एच ए एल द्वारा यद्यपि मार्च 2011 तक सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) का निर्माण प्रक्रम शुरू नहीं हो पाया। अतः निर्माण प्रक्रम शुरू करने के लिए पहचाने जाने के बावजूद भी अन्य सी हैरियर वायुयानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) ए ई डी पर था, उसके कई प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों को, जैसे जे पी टी गॉज, ब्रेक कन्ट्रोल वॉल्व, एयर ब्रेक सिलैक्टर इत्यादि, की एच क्यू एन ए, गोआ द्वारा अधिकृत विस्तृत रूप से रॉबिंग होती रही। सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) में से निकाले गए अतिरिक्त पुर्जों का यद्यपि लेखा-जोखा किया गया तथा वायुयान की असमर्थता सूची[7] में सम्मिलित किये गये।

इसी दौरान, अक्तूबर 2009 में एच क्यू एन ए, गोआ ने नौसेना वायु सामग्री निदेशालय (डीनाम), एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के पास प्रस्ताव भेजा तथा तथा मैसर्स बी ए ई सिस्टम, यू के, जो वायुयान का मूल उपस्कर निर्माता (ओ ई एम) है, से सी हैरियर के समस्त बेड़े के लिए ईधन टैंको की मरम्मत कराने की अनुशंसा की। भारतीय नौसेना के सी हैरियर बेड़े

---

[6] भंडार में किसी मद के अनुपलब्ध होने के कारण वायुयान के सामानों/उपस्करों को एक वायुयान से दुसरे वायुयान में स्थानान्तरित करने को रॉबिंग कहा जाता है। केवल अति आवश्यक आपात काल में अथवा परिचालमात्यक आवयक्ताओं को पूरा करने के लिए रॉब की हुई मदों या उपरकरणें को एक वायुयान से दूसरे वायुयान में स्थानन्तरित करते है।

[7] असमर्थता सूची एक परिभाषा है जो निर्माण प्रक्रम के लिए अनिवार्य/आवश्यक स्थायी, उपभोग्य तथा अन्य प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों की कुल संख्या को दशनि के लिए प्रयोग की जाती है।

पर फ्यूसलेज तथा मुख्य प्लेन पर मौजूद ईधन टैंको में लगातार हो रहे रिसाव से अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, इसी के चलते प्रस्ताव को अग्रेषित किया गया तथा डीनाम, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। अक्तूबर 2009 में ओ ई एम यानि मैसर्स बी ए ई सिस्टमस, यू के, के साथ उत्पाद समर्थन अनुबंध होने के पश्चात् ओ ई एम द्वारा अक्तूबर 2010 तथा नवबंर 2011 में चार सी हैरियर वायुयानों के ईधन टैंकों की मरम्मत की गई। नवबंर 2011 में डीनाम, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने दो अन्य सी हैरियर वायुयान (एक लड़ाकू एस एच 618 तथा एक प्रशिक्षक एच आर 654) के ईधन टैंको की मरम्मत के लिए पी डी एस[8] 1,199,479 जो ₹10.35 करोड़ के बराबर है (एक पी डी एस[5] = रू 86.30) की कीमत पर मरम्मत आदेश जारी किया। वायुयान (एच आर 654) के मरम्मत का कार्य निर्धारित तिथि यानि मार्च 2012 में संपूर्ण हो गया था। अक्तूबर 2012 में फर्म को पी डी एस 1,199,479 (रू 10.35 करोड़) का पूर्ण भुगतान कर दिया गया। इसमें से रू 5.17 करोड़ का भुगतान वायुयान (एच आर 654) के मरम्मत के संदर्भ में किया गया। इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 में वायुयान की पेंटिग पर रू 0.09 करोड़ तथा जून 2012 में केबल ऑडिट तथा मरम्मत पर ₹1.00 करोड़ खर्च हुए।

इन सब तथ्यों के बावजूद कि सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) पर मरम्मत कार्य करने हेतु ₹6.26 करोड़ खर्च किए गए, मरम्मत किए गए सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) से लगातार सितंबर 2013 तक अतिरिक्त पुर्जों की रॉबिंग की जाती रही। डीनाम, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा निर्माण प्रक्रम को मंजूरी दिए जाने तथा ₹6.26 करोड़ की कीमत पर कुछ निश्चित मरम्मत कार्य कराने के बावजूद भी हुड असेंबली फ्रंट, जैक रिट्रैक्शन पोर्ट इत्यादि अतिरिक्त पुर्जों की रॉबिंग को एच क्यू एन ए, गोआ द्वारा अधिकृत करना, भारतीय नौसेना की त्रुटिपूर्ण योजना को दर्शता है तथा अतः युक्ति संगत नहीं है।

इसके साथ ही, एच क्यू एन ए गोआ द्वारा डीनाम, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को दिसंबर 2010/जनवरी 2011 में सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) की असमर्थता सूची भेजी गई थी। इस असमर्थता सूची के आधार पर रक्षा मंत्रालय के अधिकार के अन्तर्गत डीनाम, एकीकृत एक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने मई 2011 में 391 प्रकार के उपप्रकार अतिरिक्त पुर्जों[9] की अधिप्राप्ति के लिए एक मामले की शुरूआत की तथा सहायक नौसेना प्रमुख (वायु)

---

[8] ब्रिटिश पाउन्ड स्टर्लिंग

[9] यह व्याख्या विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों की संख्या को दर्शाने के लिए अतिरिक्त पुर्जों के अधिप्राप्ति के केसों में प्रयोग की जाती है।

{ए सी एन एस (वायु)} को दी गई वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत अक्तूबर 2012 में 315 उपप्रकार अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए एक अन्य मामले की शुरूआत की। रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली - 2009 में अधिकृत किए गए 20 सप्ताह की समय-सीमा के बावजूद, मार्च 2013 में यानि लगभग ढाई वर्षों के पश्चात् 391 उपप्रकार अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय स्तर पर "निविदा अनुमोदन के तुलनात्मक विवरण" तक पहुँची जिसमें यह पाया गया कि 391 उपप्रकार अतिरिक्त पुर्जों में से केवल 301 की ही वैध निविदा उपलब्ध थी। दूसरे मामले के संदर्भ में जिसमें 315 उपप्रकार अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति सम्मिलित थी, जनवरी 2013 में सैद्वान्तिक रूप से मंजूरी (ए आई पी) मिली। केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। स्पष्टतः, न तो रक्षा मंत्रालय और न ही भारतीय नौसेना ने सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) के निर्माण प्रक्रम के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति करने के लिए कोई तत्परता दिखाई।

हमने वायुयान सिस्टम इंजीनयरिंग निदेशालय (डी ए एस ई), एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के दस्तावेजों की जाँच में आगे पाया (अप्रैल 2014) कि नवंबर 2012 में डीनाम, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा 2015 में सी हैरियर बेड़े के परिचालन को समाप्त करने तथा वायुयानों को चरणबद्व तरीके से बाहर करने का निर्णय लिया गया। अतः दोनों अधिप्राप्तियों के संबंध में डीनाम, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा विचार किया गया (मार्च 2013) कि वांछित समय सीमा में अतिरिक्त पुर्जों की वास्तविक आपूर्ति नहीं हो सकती थी जिस कारण वायुयानों को चरणबद्व तरीके से बाहर करने के कारण निष्क्रिय भंडार में बढ़ोतरी हो सकती थी। तदानुसार अचल भंडार की अधिप्राप्ति से बचने के लिए डीनाम, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने एच क्यू एन ए, गोआ को असमर्थता सूची की समीक्षा करने का अनुरोध किया (मार्च 2013)। विस्तार में समीक्षा करने के पश्चात् मार्च 2013 में एच क्यू एन ए, गोआ ने डीनाम को 48 उपभोग्य उपप्रकार अतिरिक्त पुर्जों की एक संशोधित आवश्यकता भेजी। आवश्यकताओं की जांच की गई तथा जनवरी 2014 में डीनाम ने उनको प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत 45 उपभोग्य उपप्रकार अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए सीमित निविदा पूछताछ (एल टी ई) आधार पर एक मामले की शुरूआत की। अधिप्राप्ति अभी तक होनी अपेक्षित थी (अप्रैल 2014)। अन्य बची हुई मदों की माँग की पूर्ति अन्य वायुयानों से आंतरिक केनिबलाइजेशन द्वारा की जानी थी।

हमने आगे डी ए एस ई, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) की जांच से पाया (अप्रैल 2014) कि अप्रैल 2014 की स्थितिनुसार सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) के लिए 195 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों अतिरिक्त माँग बकाया थी। अपने निर्माण प्रक्रम के लिए वायुयान (एच आर 654) को अपनी सभी अतिरिक्त पुर्जों की उपलब्धता की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 2015 में सी हैरियर बेड़े के सेवा से बाहर होने के फैसले के कारण, वायुयान

के अभिन्न ईधन टैंको, केबल ऑडिट तथा मरम्मत व पेटिंग हुआ ₹6.26 करोड़ का व्यय अलाभकारी साबित हुआ क्योंकि वायुयान लगातार अनुपयोज्य रहा और 45 उपभोग्य मदों की सामग्री तथा 195 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों का अनुबंध होने, आपूर्ति होने तथा ऑन बोर्ड फिट होने तक भी अनुपयोज्य रहेगा। इसके अतिरिक्त, अपने निर्माण प्रक्रम के पश्चात् भी वायुयान को परिचालित करने का समय, 2015 में सेवा से हटाने की समय सीमा के कारण, बहुत कम रहेगा।

तथ्यों को स्वीकारते हुए, वायुयान सिस्टम इंजीनयरिंग निदेशालय (डी ए एस ई), एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने (जून 2014) में सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 634) के निर्माण प्रक्रम को पुनः अनुसूचित करने की स्थिति के बारे में बताया क्योंकि प्राथमिकता आधार पर उस समय हो रहे सी हैरियर लड़ाकू वायुयानों के सीमित उन्नयन कार्यक्रम निर्माण प्रक्रम के लिए अन्य वायुयानों को अग्रता दी गई।

सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) के निर्माण प्रक्रम निर्माण के लिए किए जाने वाली साध्यता रिर्पोट के लिए बनाए गए (मई 2014) बोर्ड ऑफ ऑफिसर (बोर्ड) द्वारा दी गई साध्यता अध्ययन रिर्पोट (अगस्त 2014) की हमारी आगे की जाँच (सितंबर 2014) से पता चला कि दिसंबर 2015 में होने वाले संभावित सी हैरियर बेड़े को सेवा से बाहर करने को देखते हुए बोर्ड ने एच आर 654 के निर्माण तथा संबंधित अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति को बंद करने की अनुशंसा की थी।

अंत में सिलसिलेवार घटनाक्रम भारतीय नौसेना के स्तर पर व्यापक व समन्वयित नियोजना में कमी को दर्शाता है जिस कारण सात वर्षों से अधिक समय से लगातार सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) अनुपयोज्य रहा। यह तथ्य है कि निर्माण प्रक्रम के लिए चिन्हित होने के बावजूद भी वायुयान से लगातार अतिरिक्त पुर्जे कम हुए/अतिरिक्त पुर्जों की रॉबिंग होती रही तथा सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान (एच आर 654) से कम हुए/रॉब हुए अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति में असाधारण विलम्ब हुआ। इसके साथ ही, सी हैरियर प्रशिक्षक वायुयान पर मार्च से जून 2012 के मध्य विभिन्न मरम्मतों को किया गया, दिसंबर 2012 में सी हैरियर बेड़े के परिचालन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। यह भारतीय नौसेना की भावी योजना बनाने में कमी को दर्शाता है। अतः वायुयान के आसन्न सेवा से बाहर करने के निर्णयानुसार (2015) वायुयान पर ₹6.26 करोड़ का किया हुआ व्यय अलाभकारी सबित हुआ।

इसी दौरान, मंत्रालय को मामला भेजा गया (सितंबर 2014) तथा जवाब अपेक्षित था (सितंबर 2014)।

4.4 अति-महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति में असाधारण विलंब

प्रकार 'ए' कॉम्पलेक्स के लिए अति-महत्वपूर्ण पुर्जों की अधिप्राप्ति प्रकिया में यथोचित परिश्रम के अभाव के कारण इनकी अधिप्राप्ति में विलंब हुआ जिसके फलस्वरूप भारतीय नौसेना की 'एक्स' क्लास पनडुब्बी के अनुरक्षण/ समुपयोग पर अनुवर्ती दुष्परिणाम पडा। मार्च 2007 में परियोजित पुर्जों को अगस्त 2010 में ही ₹2.94 करोड़ की अतिरिक्त कीमत पर अनुबंधित किया जा सका। यद्यपि, आपूर्ति अभी तक होनी अपेक्षित थी (अप्रैल 2014)।

संगत नौसेना अनुदेशानुसार सेवा में ऐसी सभी मदों, जिनकी पुनः पूर्ति की जानी है, को विनिर्देशित अतंराल पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है अथवा कम से कम साल में एक बार कमी को दूर करने के लिए उन मदों की संख्या का आकलन करने की आवश्यकता है जिनकी अधिप्राप्ति की जानी है। जब भी ऐसी समीक्षा से निश्चयात्मक अधिप्राप्ति संख्या (पी क्यू) का पता चलता है, संबंधित एजेंसी को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए ताकि वांछित मद सही समय पर तथा सही गुणता व मात्रा में उपलब्ध होने के लिए सुनिश्चित हो सके।

पनडुब्बी के नेवीगेशन कॉम्पलैक्स की, सहायता हथियार उपस्कर, तकनीकी सुविधाओं तथा सिस्टम के परिचालन के लिए वांछित सूचनाएं प्रकार 'ए' कॉम्पलैक्स सृजित व प्रेषित करता है।

प्रकार 'ए' कॉम्पलैक्स के लिए वांछित अतिरिक्त पुर्जों/मॉडयूल्स की अधिप्राप्ति की हमारी जांच से (मई 2012 तथा अक्तूबर 2013) निम्न का पता चलाः

(I) अधिप्राप्ति को पूर्ण करने के लिए हुए असाधारण विलंब से उच्च लागत

हथियार उपस्कर डिपो (डब्लयू ई डी) मुम्बई द्वारा मार्च 2007 में परियोजित वार्षिक माँग समीक्षा[10] (ए आर डी 2005-06) के आधार पर जुलाई 2007 में कमोडोर कमांडिग सबमैरीन (पश्चिम) {सी ओ एम सी ओ एस (डब्लयू)} ने प्रकार 'ए' कॉम्पलैक्स के 21 प्रकार के

[10] भारतीय नौसेना "वार्षिक समीक्षा" प्रणाली का अनुसरण करती है जिसके अनुसार डिपो द्वारा अतिरिक्त पुर्जों का प्रावधान करते है तथा प्रत्येक माँग की गहन जांच के पश्चात् केन्द्रीय स्तर पर एकीकृत रक्षा मंत्रालय नौसेना द्वारा अधिप्राप्ति की कार्यवाही की जाती है। अतिरिक्त पुर्जों की अग्रवर्ती योजना तथा पुनःपूर्ति करने के माध्यम से अधिप्राप्ति की यह मानक प्रणाली है तथा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर की समयाविधि में इसे बनाया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जों/मॉडयूल्स की अधिप्राप्ति के लिए हथियार उपस्पकर निदेशालय (डी डब्लयू ई), एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के पास अनुशंसा भेजी। फरवरी 2008 में डी डब्लयू ई एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने सीमित संविदा पूछताछ एल टी ई आधार पर चार फर्मों को अनुरोध प्रस्ताव आर एफ पी जारी किया। यद्यपि, केवल दो फर्मों मैसर्स एफ यू एस ई, ज्वेज़दोच्का, रूस मथा मैसर्स रोजोबोरन सर्विसिस इंडिया लिमिटेड {आर ओ एस (आई)} मुम्बई ने ही प्रत्युत्तर दिया। 17 जून 2008 को कोट खोली गई। दोनों फर्मों ने ही, यद्यपि, केवल 20 प्रकार के पुर्जों/मॉडयूल्स के लिए कोट किया तथा 01 प्रकार के पुर्जों/मॉडयूल्स यानी कंट्रौल बोर्ड आई आई वाई के लिए कोट नहीं किया। दोनों फर्मों की निविदाएँ क्रमशः 1 दिसबंर 2008 तथा 16 अक्तूबर 2008 तक वैध थी। 11 प्रकार के पुर्जों/मॉडयूल्स के लिए जिनकी कुल कीमत यू एस डी 1,437,997, जो 6.18 करोड़ के बराबर है (एक यू एस डी = ₹43.00) के लिए मैसर्स एफ यू एस ई, ज्वेज़दोच्का, रूस एल-1 था तथा मैसर्स आर ओ एस (आई) 9 प्रकार के पुर्जों/मॉडयूल्स जिनकी कुल कीमत ₹6.29 करोड़ थी, के लिए एल-1 था। यद्यपि, मैसर्स आर ओ एस (आई) सभी 20 प्रकार के पुर्जों/मॉडयूल्स की ₹12.99 करोड़ पर एल-1 था।

मैसर्स आर ओ एस (आई) मुम्बई की निविदा के संदर्भ में,यद्यपि जुलाई 2008 में एकीकृत वित्तिय सलाहकार नौसेना {आई एफ ए (नौसेना)} ने विनिमय मूल्य परिर्वतन (ई आर वी), कर/डयूटी/वैट तथा आपूर्ति की तिथि इत्यादि पर मुदे उठाए थे, जबकि मैसर्स आर ओ एस (आई), मुम्बई ने अपनी निविदा में केवल ई आर वी के ही मुआवजे की मांग की थी। इससे पहले ही, रक्षा मंत्रालय ने 01 अप्रैल 2008 को मैसर्स आर ओ एस (आई), मुम्बई की भारतीय कपंनी होने की स्थिति पर उनके साथ हुए अनुबंधों के लिए ई आर वी, कर/डयूटी/वैट इत्यादि पर अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया था। यद्यपि, अगस्त 2008 में डी डब्लयू ई एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने आई एफ ए (नौसेना) के प्रश्नों का प्रत्युत्तर दिया। इसके साथ ही 18 अगस्त 2008 का आई एफ ए (नौसेना) ने संविदा समझौता कमैटी (सी एन सी)[11]/ हथियार प्रापण कमेटी-1 (डब्लयू पी सी-1) को प्रत्येक एल-1 फर्म मैसर्स एफ यू एस ई ज्वेज़दोच्का, रूस के साथ 11 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों / मॉडयूल्स के लिए तथा मैसर्स आर ओ एस (आई) के साथ 9 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों / मॉडयूल्स के लिए समझौता वार्ता करने के लिए मंजूरी दे दी। तत्पश्चात 16 सितंबर 2008 को डी डब्लयू ई एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने आर एफ पी के प्रावधानुसार निष्पादन प्रतिभूति, परिधारित नुकसानी (एल डी) तथा माध्यस्थ जैसे मुद्दे पर मैसर्स एफ यू एस ई ज्वाजदोक्या, रशिया की सहमति की पुष्टि करने का अनुरोध किया क्योंकि फर्म ने अपनी संविदा वाणिज्यिक के प्रस्ताव में इन प्रावधानों को मनाने का जिक्र

[11] मूल्य समझौता वार्ता से यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य के हित पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे तथा भुगतान किए जाने वाले मूल्य उचित हो। ऐसी समझौता वार्ता सी एन सी द्वारा की जाती है तथा एल-1 निर्धारित किया जाता है तथा सी एफ ए की मंजूरी के लिए अनुशंसा भेजती है । हथियार उपस्करों के मामलों मेंट सी एन सी के रोल डब्लयू पी सी द्वारा निर्वाहित किया जाता है।

नहीं किया था, जबकि, ये सब आर एफ पी के भाग के रूप में सम्मिलित थे। यद्यपि अक्तूबर 2008 में फर्म ने आर एफ पी के इन प्रावधानों से सहमत होने से खेद प्रकट किया था। फर्म ने उसकी निविदा की मान्यता 1 दिसंबर 2008 से आगे बढ़ाने के लिए भी सहमति नही दी थी।

इसी दौरान 7 अक्तूबर 2008 को डी डब्लयू ई एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने निर्धारित किया कि मैसर्स आर ओ एस (आई) मुम्बई के साथ 9 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जे/मॉडयूल्स के लिए सी एन सी/ डब्लयू पी सी -1 17 अक्तूबर 2008 के समझौता वार्ता करेंगे, जबकि मैसर्स आर ओ एस मुम्बई के प्रस्ताव की मान्यता 16 अक्तूबर 2008 को ही समाप्त हो गई थी। मीटिंग के दौरान, फर्म से अनुरोध किया गया कि वह अपने प्रस्ताव को वापिस लेने के निर्णय पर पुर्नविचार करे तथा इसका पुर्नवैधीकरण करे ताकि इन अतिमहत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति प्रकिया में तीव्रता आ सके। इसके बाद भारतीय नौसेना ने कोई कार्यवाही नहीं की। यद्यपि, फर्म ने अपनी ओर से अप्रैल 2009 में 20 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों / मॉडयूल्स जिनकी कुल कीमत ₹14.39 करोड़ थी, का संशोधित प्रस्ताव दिया था जो 13 जून 2009 तक मान्य था जो कि आगे 15 सितंबर 2009 तक बढ़ा दिया गया था । यद्यपि, केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी वी सी) के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार निविदा के खुलने के पश्चात कीमतों में संशोधन की अनुमति नही दी जा सकती और इस प्रकार के मामलों में केस के लिए पुनः निविदा आमंत्रण करना चाहिए। इसके अनुसार, डी डब्लयू ई, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने एक प्रस्ताव की फिर से शुरूआत की (सितंबर 2009) तथा 21 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों / मॉडयूल्स के लिए पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्णय लिया गया (नवबंर 2009)

तत्पश्चात नवबंर 2009 में सभी प्रकार के अतिरिक्त पुजों की आवश्यक्ता के लिए अर्थात 21 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों / मॉडयूल्स के लिए उन्हीं चार फर्मों को एल टी ई आधार पर फिर से आर एफ पी जारी की प्रत्युतर में फिर से उन्हीं दो फर्मों ने यानि मैसर्स एफ यू एस ई, ज्वेज़दोच्का, रूस और मैसर्स आर ओ एस (आई), मुम्बई ने जवाब दिया । मैसर्स एफ यू एस ई, ज्वेज़दोच्का, रूस ने सभी 21 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों / मॉडयूल्स के लिए कोट किया, जबकि, मैसर्स आर ओ एस (आई) मुम्बई ने फिर से 20 प्रकार के ही अतिरिक्त पुर्जों / मॉडयूल्स के लिए कोट किया । मैसर्स एफ यू एस ई, ज्वेज़दोच्का, रूस 3 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जे / मॉडयूल्स जिनकी कीमत ₹1.15 करोड़ थी, के लिए एल -1 था तथा मैसर्स आर ओ एस (आई) मुम्बई 18 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जे/ मॉडयूल्स जिनकी कीमत ₹15.20 करोड़ थी, के लिए एल-1 था। मैसर्स आर ओ एस (आई) फिर से सभी 20 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जे/ मॉडयूल्स जिनकी कीमत ₹16.34 करोड़ थी, के लिए एल-1 था। जुलाई 2010 मे, संविदा समझौता (सी एन सी) ने समझौता मूल्य ₹15.93 करोड़ पर 20 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जे / मॉडयूल्स के लिए मैसर्स आर ओ एस (आई) को आदेश देने की अनुशंसा की थी। अगस्त 2010 में, डी डब्लयू ई, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने मैसर्स आर ओ एस (आई) मुम्बई के साथ 20 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जे/ मॉडयूल्स की आपूर्ति के लिए कुल मूल्य ₹15.93 करोड़

वैट रहित पर अनुबंध किया था। केवल एक बचा हुआ अतिरिक्त पुर्जा/मॉडयूल्स यानि कन्ट्रोल बोर्ड आई आई वाई अगली ए आर डी में सम्मिलित किया गया। अतः स्पष्ट अधिप्राप्ति नियमों के होने तथा अप्रैल 2008 में रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद भी स्पष्ट निर्णय न लेने के कारण तथा साथ ही निविदा की मान्यता के दौरान भी मैसर्स आर ओ एस (आई) के साथ समझौता वार्ता करने में विफल रहने के कारण इन अतिरिक्त पुर्जों/मॉडयूल्स अधिप्राप्ति प्रकिया में असाधारण विलंब हुआ जिस कारण समान अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए अनुबंध अगस्त 2010 में उसी फर्म के साथ ₹2.94 करोड[12] की अतिरिक्त कीमत पर हुआ जो फर्म जून 2008 में समस्त रूप से एल-1 थी। इस स्थिति को टाला जा सकता था अगर 20 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों/मॉडयूल्स का अनुबंध मैसर्स आर ओ एस (आई) के साथ 2008 में ही कर लिया जाता जबकि डी डब्लयू ई एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा 18 फरवरी 2008 को जारी आर एफ पी के समदा मैसर्स आर ओ एस (आई) समस्त रूप से 20 प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों/ माँडयूल्स के निए जिनकी कुल कीमत ₹12.99 करोड़ थी के लिए एल-1 था। इसके अतिरिक्त, रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डी पी एम) में दिए गए 19 सप्ताह की समय सीमा के एवज में माँग परियोजना के दिनांक से कुल 42 महीनों का समय लिया गया।

(II) अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जे / माँडयूल्स अभी तक उपलब्ध नहीं है।

मैसर्स आर ओ एस (आई) के अगस्त 2010 में हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबंध प्रभावी होने की तिथि यानि 15 अगस्त 2011 तक दो भागों में ही 12 महीनों के अन्दर ही आपूर्ति समाप्त की जानी थी । रूसे में ओ ई एम के साथ समवर्ती अनुपूरक समझौतों में देरी होने के आधार पर मैसर्स आर ओ एस (आई) ने पहले (फरवरी 2011) 15 दिसंबर 2011 तक आपूर्ति समय सीमा को बढाने का अनुरोध किया तथा बाद में फिर से 30 जून 2012 तक आपूर्ति समय सीमा को बढाने का अनुरोध किया था (सितंबर 2011)। यद्यपि, मैसर्स आर ओ एस (आई) का रूस के ओ ई एम के साथ अनुपूरक समझौतों के होने का अनुबंध में प्रावधान नहीं था,तथापि,डी डब्लयू ई, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने परिनिर्धारित नुकसानी (एल डी) सहित आपूर्ति समय सीमा को बढाने का अनुमोदन दिया था (नवंबर 2011)। इस दौरान, फर्म ने सूचित किया (जून 2012) कि मई 2012 से ही ओ एम के पास भेजने के लिए प्रेषण तैयार था तथा एक बार फिर से आपूर्ति समय सीमा को 31 अगस्त 2012 तक बढाने का अनुरोध किया। फर्म ने भारतीय रूपयों में आई भारी गिरावट के कारण एल डी निरस्त करने का भी

[12] 20 अतिरिक्त पुर्जे / मॉडयूल्स मैसर्स आर ओ एस (आई) से अक्तूबर 2008 में उपलब्ध थे ₹12.99 करोड, के मूल्य पर 20 अतिरिक्त पुर्जे / मॉडयूल्स मैसर्स आर ओ एस (आई) से अगस्त 2010 में अनुबंध हुए थे ₹15.93 करोड़ के मूल्य पर अंतर ₹2.94 करोड़

अनुरोध किया। केस की प्रकिया में भी असाधारण विलंब हुआ और 01 जुलाई 2012 से 10 सितंबर 2013 तक एल डी लगाने सहित की सीमा बढाने की मंजूरी अंततः रक्षा मंत्रालय ने एक साल के पश्चात् जुलाई 2013 में दी।

यद्यपि, सितंबर 2013 में फर्म ने बताया कि रूपये में आई गिरावट की वजह से हुए नुकसान की भरपाई न होने से तथा एल डी को लगाने से अनुबंध का निष्पादन संभव नहीं हो पा रहा था। अप्रैल 2014 तक अनुबंधानुसार आपूर्ति पूरी नहीं हो पाई थी। [13]

इस दौरान, प्रधान निदेशक हथियार उपस्कर (पी डी डब्लयू ई) ने एक लेखा परीक्षा आपत्ति के प्रत्युतर में सितंबर 2012 में बताया कि अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति की प्रकिया को पूर्ण करने में हुए विलबं से 'एक्स' क्लास पनडुब्बियों के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(III) अनुबंध का अपूर्ण प्रलेखन

16 अगस्त 2010 को हुए अनुबंध के अनुसार ही फर्म द्वारा मांग की पुष्टि मिलने के 30 दिन के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी (पी बी जी) जमा किए जाने की आवश्यक्ता थी। इसके साथ ही, वारंटी की दिनांक के बाद पी बी जी का 60 दिनों तक मान्य होना आवश्यक था। यद्यपि, मैसर्स आर ओ एस (आई) ने 11 अप्रैल 2012 को ₹1.59 करोड़ की कीमत की पी बी जी जमा की, जबकि 15 सितंबर 2010 तक ही पी बी जी को जमा किया जाने की आवश्यक्ता थी। हमने जांच में पाया (अक्तूबर 2013) कि आपूर्ति समय सीमा को बढ़ाने की प्रकिया के दौरान ही पी बी जी 2 जुलाई 2013 को समाप्त हो गई थी। लेकिन डी डब्लयू ई, एकीकृत रक्षा मत्रांलय (नौसेना) ने पी बी जी की समय सीमा को बढ़ाने के लिए समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की। इस तथ्य के कारण कि फर्म द्वारा देर से जमा कराई हुई पी बीजी भी समाप्त हो गई थी, डी डब्लयू ई, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) इस स्थिति में था कि वह फर्म को अनुबंधानुसार आपूर्ति करने के लिए विवश नहीं कर सकता था। डी डब्लयू ई, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने अपने जवाब में बताया (नवबंर 2013) कि फर्म को पी बी जी की समय सीमा बढ़ाने का पत्र 7 अगस्त 2013 को जारी किया गया था। यह प्रत्युतर लेखा परीक्षा निष्कर्ष की पुष्टि करता है क्योंकि पी बी जी समाप्त होने के एक माह से अधिक समय के पश्चात् समय सीमा को बढ़ाने का पत्र बहुत देरी से जारी किया गया था।

---

[13] विनिर्देशित लेखा परिक्षा प्रश्नावली (अप्रैल 2014) के प्रत्युतर में डी डब्लयू डी, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के पत्रांक डब्लयू एन /0468/ ऑडिट दिनांक 29/4/2014 द्वारा दी गई सूचना।

अंत में, न केवल अतिरिक्त पुर्जों के लिए अनुबंध काफी देरी से ₹2.94 करोड़ की अधिक कीमत पर किया गया, लेकिन विलंब का 'एक्स' क्लास पनडुब्बियों के अनुरक्षण/ समुपयोग तथा परिचालन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, मार्च 2007 में परियोजित अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति अप्रैल 2014 तक अपेक्षित थी।

मंत्रालय को मामला मई 2014 में भेज दिया गया था, उनका प्रत्युतर अपेक्षित था (सितंबर 2014)।

4.5 अत्यधिक मूल्य पर एक मद/वस्तु की अधिप्राप्ति

नौसेना ने सामान्य मेमोरी कार्ड परिणामी एकल निविदा के आधार पर अत्यधिक ऊँची दर से इस याचिका पर खरीदा कि मेमोरी कार्ड एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेअर से लोड/युक्त था। इसके परिणाम-स्वरूप ₹1.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली 2009 के अनुबंधो के अंतर्गत अधिप्राप्त की जाने वाली मदों/सामानों के विनिर्देश, अधिप्राप्तकर्त्ता संगठनों के विशिष्ट आवश्यकताओं, जो कि फालतू तथा गैर अनिवार्य कारको को शामिल किए बिना संगठन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अकारण व्यय हो सकता हैं, के मद्देनजर स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए। रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली यह भी प्रावधान करता हैं कि प्रापण प्राधिकरण को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि चयनित प्रस्ताव का मूल्य उचित हो और जहाँ प्रतिस्पर्धा की कमी प्रतिबंधात्मक विनिर्देश के कारण है, वहाँ प्रतिस्पर्धा को व्यापक एवं पर्याप्त रूप से सुगम बनाने के लिए विनिर्देश के पुर्नविलोकन की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।

नौसेना एफ.ओ.एन.ए., गोवा के एक अधिप्राप्ति की हमारी जाँच (मार्च 2013) में यह पता चला कि सैनडिस्क पी.सी.एम. सी.आई.ए. टी.आई.ए. के 20 मेमोरी कार्ड की अधिप्राप्ति परिणामी एकल निविदा आधार पर अत्यधिक ऊँची दर से की गई, जिसके कारण ₹1.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। विवरण अनुसरित/इस प्रकार हैः-

इल्युशिन 38 (आई.एल. 38) विमान में प्रतिस्थापित सी ड्रैगन मिशन सुट (एस.डी.एम.एस.) और फ्लाइट डेटा रिर्काडर (एफ.डी.आर.) में मिशन डेटा अभिलेखबद्ध करने के लिए मेमोरी कार्ड सुगठित रूप में पार्ट न. सैनडिस्क पी.सी.एम. सी.आई.ए. ए.टी.ए. अपेक्षित होता है/आवश्यक होता है।

सामग्री संगठन गोवा के द्वारा जुलाई 2009 में माँग/अभियाचना की वार्षिक समीक्षा 2009-10 (ए.आर.डी. 2009-10) पर आधारित आई.एल.38 एस.डी. विमान के 70 प्रकार के पुर्जो की अधिप्राप्ति के लिए प्रक्षेपण तैयार किया गया। सभी पुर्जो का सन्निकट लागत ₹31.51 लाख अनुमान किया गया जिसमें मेमोरी कार्ड 20 की संख्या में ₹1.50 लाख के अनुमानित मूल्य भी शामिल था, जो कि गत क्रय मूल्य, पुर्व में मेसर्स बी.ए.सी. इंटरप्राइजेज, गोवा से वर्ष 2008 में प्रति इकाई ₹7250/- में अधिप्राप्त था।

तदनुसार, आइ.एल. 38 एस.डी. विमान के 70 मदों के लिए 20 मेमोरी कार्ड सहित, प्रस्ताव हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव हेतु अनुरोध में मद का पार्ट संख्या सैनडिस्क पी.सी.एम. सी.आई.ए. ए.टी.ए. प्रकाशित किया गया था। अक्टूबर 2009 में निविदा समीक्षा 12 लघु सूचीबद्ध् निविदाकार को जारी किया गया। मेसर्स स्पेटस टेक्नो एक्सपोर्ट नई दिल्ली (मेसर्स स्पेटस टी.ई. युक्रेन के प्रतिनिधि) एक मात्र फर्म थी जिसने जनवरी 2010 में मेमोरी कार्ड के लिए बोली लगाई थी।

हमारी जाँच में यह पता चला कि मेमोरी कार्ड के लिए परिणामी एकल निविदाकार मेसर्स एस.टी.ई. ने मदों की 20 संख्या के लिए यू.एस.डी. 224000 (यू.एस.डी. 11200 प्रति इकाई की दर से अर्थात ₹5.30 लाख प्रति इकाई की दर से ₹47.36 =यू.एस.डी.) के कुल मूल्य का कोट किया। उसी मद के लिए वर्ष 2008 में मेसर्स बी.ए.सी. इंटरप्राइजेज गोवा का गत क्रय मूल्य ₹7250 था, जिसे नौसेना ने 6% परिवर्धित करके, अनुमानित मूल्य 7500/- पर पहुँचा। इस प्रकार, परिणामी एकल निविदा प्रस्ताव गत क्रय मूल्य से 6972% परिवर्धित था। इसके बावजुद डी.पी.एम. के आवश्यकतानुसार मूल्य समझौता समिति नही गठित किया गया उसके बाद रेट मूल्य/भाव स्वीकृत किया गया एवं संविदा मेसर्स एस.टी.ई. के साथ संपन्न किया गया। मदें अगस्त 2011 में सामग्री संगठन, गोवा में प्राप्त किया गया।

हमने अवलोकन किया कि यद्यपि 2008 एवं 2010 अधिप्राप्त मदों का पार्ट नं. समान यथा "सैनडिस्क पी.सी.एम. सी.आई.ए. ए.टी.ए." था। लेकिन सामग्री संगठन गोवा द्वारा जुलाई 2009 में, 2008 में अधिप्राप्ति में उल्लिखित विवरणी "इंटरफेस सॉफ्टवेअर के साथ पी.सी.एम. ए.टी.ए." को 2010 अधिप्राप्ति में उल्लिखित "टी.बी.एन. के मेमोरी कार्ड (फ्लैस डिस्क)" में परिवर्त्तित किया गया। आगे, हमारी जाँच (मार्च 2013) में यह भी पता चलाकि विवरणी बदलने के बावजुद अपेक्षित मद पिछली अधिप्राप्ति के पार्ट नं0. के समान ही थी। इस प्रकार समान पार्ट नंम्बर का मद सामग्री संगठन गोवा द्वारा 2008 में ₹7250/- प्रति इकाई में अधिप्राप्त किया गया था, उसे एफ.ओ.एन.ए. गोवा ने 2010 में अत्यधिक ऊँची दर पर यू.एस.डी. 11200

प्रति इकाई ₹5.57 लाख प्रति इकाई पर अधिप्राप्त किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हमारी टिप्पणी (मार्च 2013) के उत्तर में एफ.ओ.एन.ए. गोवा ने 2010 में अधिप्राप्त मद के उच्च मूल्य को 2008 में अधिप्राप्त मद की तुलना में अधिक मूल्य पर अधिप्राप्ति करने को उचित (फरवरी 2014) ठहराने का प्रयास किया क्योंकि मेमोरी कार्ड में विशेष प्रकार के सॉफ्टवेअर (कारता) प्रतिस्थापित था, जो विमान के एफ.डी.आर. में प्रयोग किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिप्राप्ति के किसी भी प्रक्रिया में मेमोरी कार्ड में विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर (कारता) की आवश्यकता नही दिखाई गई थी। और मेमोरी कार्ड में सॉफ्टवेयर के प्रतिस्थापन की आवश्यकता आर.एफ.पी. में नहीं निर्दिष्ट की गई थी। आगे, हमारी जॉच (मार्च 2013) में यह भी पता चला कि विवरणी बदलने के बावजूद अपेक्षित मद पिछली अधिप्राप्ति के पार्ट नं0. के समान ही थी। नौसेना में मद के प्रयोगकर्ताओं ने स्वीकार (अप्रैल 2014) किया कि 2008 में उनको निर्गत मेमोरी कार्ड की विनिमयशीलता एवं प्रयोग/व्यवहार 2014 में निर्गत मेमोरी कार्ड के समान ही थी। किसी भी स्थिति में, परिवर्धित गत क्रय मूल्य और परिणामी एकल निविदा के बीच 6972% के अंतर के लिए, अगर आवश्यक हो तो, समझौता वार्ता का प्रयोग करना चाहिए था, ऐसा एस. एस. टी. ओ. एवं सी. एस. ओ. (टी.) ने अप्रैल 2010 में प्रस्तावित किया था। हॉलाकि, यह नही किया गया।

उसके बाद एफ.ओ.एन.ए. (गोवा) (मई 2014) लेखा परीक्षा टिप्पणी स्वीकार करने के दौरान सहमत हुए कि फर्म मेसर्स स्पेटस टी.ई.ने गत क्रय मूल्य की तुलना में अत्यधिक ऊँची दर से प्रभारित किया एवं उसी बनावट और विवरणी का मेमोरी कार्ड की भी आपूर्ति नहीं की गई जैसा कि आपूर्ति आदेश में अनुबद्ध् किया गया था। हाँलाकि एफ.ओ.एन.ए. गोवा ने ये कहा कि आवश्यक संसोधक कार्यवाही, जैसे कि मेमोरी कार्ड को सामान्य/व्यापक विवरणी के साथ शुरु करना, गत क्रय मूल्य एव्र गत क्रय वर्ष को तुलनात्मक निविदा विवरणी में समाविष्ट किया जाएगा एवं एकल कोट गत क्रय मूल्य/गत क्रय वर्ष आधारित स्वीकार किया जाएगा, पर विचार किया जा रहा है।

इस प्रकार, अधिप्राप्ति के निर्धारित मानदंडो से विचलन के परिणाम स्वरूप ₹1.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह मामला मंत्रालय को भेजा गया (मई 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

4.6 इलेक्ट्रोड्स की आवश्यकता से अधिक अधिप्राप्ति

सामग्री संगठन, विशाखापटनम ने आपूर्तीकर्ता से दर-संविदा करते समय मात्रा की आक्रमबद्ध आपूर्ति पर ध्यान नही दिया। जिसकी वजह से आवश्यकता से अधिक अधिप्राप्ति और परिणाम स्वरूप ₹1.68 करोड की वस्तु की कालावधी समाप्त हो गई।

रक्षा अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका (डी.पी.एम.) 2009 के तहत, दर-संविदा, आदेश किए गए संसाधनों एवं वस्तुसूची के रखरखाव के खर्च को कम करने के साथ-साथ मानक स्तर पर मांगपत्रित मदों कि अधिप्राप्ति को संभव बनाता है। दर संविदा, द्रुतगामी आइटम जिनकी सेल्फ लाईफ कम होती है, विचारार्थ उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा नौसेना की सामग्री योजना नियमपुस्तिका, सेल्फ लाइफ आइटम्स के संबंध में आक्रमबद्ध सुपुर्दगी को निर्धारित करती है।

हमने देखा कि (सितम्बर 2013) एम. ओ., विशाखापट्नम द्वारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की अधिप्राप्ति के संचालन एवं समापन (अगस्त 2009), दर संविदा के उपर्युक्त प्रावधानों से भिन्न है। एम. ओ., विशाखापट्नम ने वस्तुओं की उत्तरोत्तर अधिप्राप्ति करने के बजाय, एक साथ बडी मात्रा में अधिप्राप्ति की, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक अधिप्राप्ति एवं ₹1.68 करोड की वस्तु की सेल्फ लाईफ समाप्त होने से राजकोष को हानि हुई। विवरण क्रमशः

एम. ओ., विशाखापट्नम ने (जून 2008) 30,000 कि.ग्रा. के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स[14] की अधिप्राप्ति के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया । वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की निर्मित तिथि से 24 महीने की एक सीमित शेल्फ लाइफ होती है। एम. ओ., विशाखापट्नम ने (अगस्त 2009) मैसर्स होनावर इलेक्ट्रोड्स प्रा. लि., मुम्बई के साथ अगस्त 2009 से दिसम्बर 2010 तक की अवधि के लिए दर संविदा निर्धारित की, जो कि समय-समय पर अगस्त 2012 तक के लिए बढा दिया गया।

हमने देखा (सितम्बर 2013) कि मुख्यालय, पूर्वी नौसेना कमान (एच.क्यू.ई.एन.सी.) (वी.) ने एडमिरल सुप्रिटेंडेंट की 542 मदों की अतिमहत्वपूर्ण सूची[15] प्रवर्तित की जिसमे 10,000 कि.ग्रा. का वेल्डिग इलेक्ट्रोड्स शामिल था। फिर भी, आई.एन.एस. जलसा एवं आई.एन.एस. राजपूत की आगामी रिफिट जो कि 2011 में होने के लिए अनुसुचित थी, को ध्यान में रखते हुए नौसेना गोदीवाडा, विशाखापटनम नें ए.एस.डी. की अतिमहत्वपूर्ण सूची में दिये गये 26

---

[14] 4 मिमी. व्यास और 450 मिमी. ल0. के वेल्डिगं इलेक्ट्रोड 48 X N4

[15] ए.एस.डी. की अतिमहत्वपूर्ण सूची- गोदीवाडा द्वारा एम.ओ. के साथ विचारित, वस्तुओ के लिए तैयार कि गई जो कि पोत की रिफिट के लिए आवश्यक है।

वस्तुओं कि अतिरिक्त मात्रा के लिए एच.क्यू.ई.एन.सी. (वी.) से एक बार अनुमोदन मांगा (जनवरी 2011)। इन 26 वस्तुओं में से एक वस्तु वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स थी जिसके लिए एन.डी.वी. ने 1,28,860 कि.ग्रा. की आवश्यकता, (आई.एन.एस. राजपूत के लिए 65,000 कि.ग्रा. और आई.एन.एस. जलश्व के लिए 53,860 कि.ग्रा. सहित) उनकी मरम्मत के लिए ए.एस.डी. की आवश्यक सूची में दिये गए 10,000 कि.ग्रा. की अनुमोदित मात्रा के विरूद्ध प्रस्तुत की (जनवरी 2011)। इस समय पर एम.ओ. (वी.) के पास इन वस्तुओं के 30,802 कि.ग्रा. के भंडार थे (जनवरी 2011)।

रिफिट अप्रैल 2011 से सितम्बर 2013 को होने वाली थी एवं एम.ओ.(वी.) इस रिफिट अनुसूची के बारे में अवगत था। इसके अनुसार एम.ओ.(वी.) ने जुलाई 2011 में अतिरिक्त ए.एस.डी. की अतिमहत्वपूर्ण सूची के आधार पर 1,30,000 कि.ग्रा. के इलेक्ट्रोड्स के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया। एम.ओ. (वी.) ने मैसर्स होनावर इलेक्ट्रोड्स प्रा. लि., मुम्बई को वर्तमान दर संविदा के आधार पर 1,30,000 कि.ग्रा. का क्रयादेश दिया। इकाई लागत ₹184.19 प्रति कि.ग्रा. की दर से कुल आदेश लागत ₹2.39 करोड हो गई जिसकी अगस्त 2011 तक आपूर्ति की गई। कंपनी द्वारा स्वयं, 1,29,991 कि.ग्रा. की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ती मई-जून 2011 में की गई।

हमने इलेक्ट्रॉनिक बिन कार्ड के माध्यम से देखा (सितम्बर 2013) कि जुलाई 2011 से जुलाई 2013 के बीच में एम.ओ.(वी.) ने 39,320 कि.ग्रा. के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स एन.डी. (वी.) को जारी किये।

हमने मामले को एन.डी. (वी.) एवं एम.ओ. (वी.) के समक्ष उठाया (सितंबर 2013)। एन.डी. (वी.) ने इस तथ्य को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (अक्टुबर 2013) कि वास्तव में केवल 20,824 कि.ग्रा. इलेक्ट्रोड्स दोनो रिफिट में उपभोग किये गये, जबकि प्रारंभिक अनुमान, रिफिट के दौरान अनुमानित किये गए प्लेट नवीनीकरण पर आधारित था। फिर भी, नवीनीकरण की वास्तविक आवश्यकता रिफिट की शुरूआत के बाद ही जानी गई। तथ्य से स्पष्ट है कि एन.डी. वी. द्वारा लगाया गया अनुमान असामान्य रूप से अधिक था जो ए. एस. डी. की लगभग 10,000 कि.ग्रा. की अतिमहत्वपूर्ण सूची के अनुसार आवश्यक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का 13 गुना थी। यह एन.डी.(वी.) द्वारा किये गए पूरी तरह से गलत आकलन को दर्शाता है।

एम.ओ. (वी.) ने स्वीकार किया (अक्टुबर 2013) कि पिछले उपभोग एवं अनुभव के आधार पर लगभग 35,000 कि.ग्रा. वस्तु को अधिप्राप्त करने की आवश्यकता थी। जबकि एन.डी. (वी.) के आकलन के आधार पर 1,28,860 कि.ग्रा. की मात्रा का प्रावधान था। एम.ओ. (वी.) ने यह भी कहा कि वस्तु को अन्य डिपोट्स को सेल्फ लाइफ के दौरान ही उपयोग करने के लिए प्रस्ताव दिया गया।

एम.ओ. (वी.) का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि दर संविदा के उपलब्ध होने के बावजूद, जिसे एन.डी. (वी.) की वास्तविक आवश्यकता को पुरा करने के लिए आक्रमबद्ध सुपुर्दगी के लिए उपयोग किया जा सकता था, एम.ओ. (वी.) ने सम्पूर्ण मात्रा की अधिप्राप्ति एक बार में की यद्यपि एक माह से कम की अवधि (31 जनवरी 2011 से 28 जून 2011) मे दो बार प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, एम.ओ. (वी.) इस बात से जागरूक था कि रिफिट अप्रैल 2011 से सितम्बर 2013 अर्थात 2 साल से अधिक समयान्तराल तक अनुसूचित था। जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की कालावधि आवश्यकता से अधिक भण्डारण के परिणामतः समाप्त हो गई।

इलेक्ट्रॉनिक बिन कार्ड की आगे की जॉच ने खुलासा किया कि 10,040 कि.ग्रा., दिसम्बर 2013 और अप्रैल 2014 में जारी किया गया। इस प्रकार, कुल 49,360 कि.ग्रा. वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स जारी किए गए। इस प्रकार जून 2014 में एम. ओ. (वी.) के पास 91020 कि.ग्रा. शेष बच गए। मई-जून 2011 में आपूर्ति किए गए इन इलेक्ट्रोड्स की सेल्फ लाईफ निर्माण तिथि से 24 माह की थी और यदि उनका संग्रहण विशिष्ट परिस्थितयों मे किया गया होता तो उनकी सेल्फ लाईफ एक साल तक बढाई जा सकती थी अर्थात मई 2014 तक। इससे निषकर्ष निकलता है कि ₹1.68 करोड की कीमत का 91,020 कि.ग्रा. का सम्पूर्ण भण्डार अप्रयुक्त रहा (जून 2014)।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में सहमति व्यक्त की (अगस्त 2014), कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की मानक सेल्फ लाईफ 24 महीनें थी, जबकि बहस निर्माता के दावे के आधार पर थी कि वेल्डिंग इलेक्ट्रॉडस इस विशेष स्थिति मे, पूर्व मे ही इन हाउस हीटिगं के साथ उपयोग में लाए जा सकते थे। मंत्रालय ने भी यह तर्क दिया कि वस्तुओं की सुपुर्दगी दो बार में आक्रमबद्ध तरीके से दो रिफिट को उपलब्ध कराने के लिए की गई।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नही है। वस्तु की सेल्फ लाईफ 24 महीने की थी जो कि यदि वस्तु विशेष परिस्थिति में भंडारीत की जाती, तो उसे अगले वर्ष तक बढाई जा सकती थी। मंत्रालय की तर्क है कि वस्तु को हीटींग के साथ उपयोग में लाया जा सकता था, जो कि केवल निर्माता के दावें पर आधारित था जो कि वर्तमान समझौते से भिन्न है जिसमे उदघोषित किया गया कि सेल्फ लाईफ की जिम्मेदारी नियंत्रक सामग्री नियोजन की थी। मंत्रालय का यह भी तर्क है कि वस्तु दो बार में प्राप्त की गई, जिसका पता मरम्मत काल की अवधि के दौरान चला, जो कि अप्रैल 2011 से सितंबर 2013 तक के लिए थी, और संपूर्ण आपूर्ति एक बार में करने के लिए क्रयादेश प्रस्तुत किया, यद्यपि मई-जून 2011 की एक माह की कालावधि के अंर्तगत दो बार स्वयं से सुपुर्द किया गया, जो कि आक्रमबद्ध सुपुर्दगी होने के कारण रिफिट अनुसुची के अनुरूप नही थी।

इस प्रकार एन.डी.(वी.) द्वारा 1,28,860 कि.ग्रा. की आवश्यकता बढा-चढा कर दर्शायी गई एवं एम. ओ. (वी.) के एक बार में अधिप्राप्ति करने का प्रयोग, नौसेना के सामग्री नियोजन नियमावली में दर्शायें हुए प्रावधान के विरूद्ध है। दर संविदा होने के बावजूद ₹1.68 करोड की सेल्फ लाईफ वस्तु को रोके रखा गया जबकि वस्तु को आक्रमबद्ध तरीके से अधिप्राप्त किया जा सकता था। वास्तव में मांग पत्र जारी करने से पहले, जनवरी 2011 में एम.ओ. (वी.) के पास भण्डार (30,802 कि.ग्रा.) उपलब्ध था, जो कि दोनों पोतों की रिफिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, चूँकि दोनों रिफिट के अंतर्गत केवल 20,824 कि. ग्रा. इलेक्ट्रोड्स का उपभोग हुआ।

4.7 लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

रद्दी विक्रय की आगम के जमा में विलम्व के परिणामतः ₹39.23 लाख का ब्याज प्रोदभूत हुआ जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर मझगॉव डॉक लिमिटेड से वसूल किया गया।

भारत सरकार ने जनवरी 1998 में मैसर्स एम.डी.एल. मुम्बई से तीन सी.ओ.डी.ओ.जी. आधुनिक फ्रिगेट्स के अधिग्रहण की स्वीकृति प्रदान की, और यह परियोजना दिसम्बर 2000 में शुरू हुई। भारत सरकार की संस्वीकृति के आधार पर, रक्षा मंत्रालय ने जून 2008 में ₹7884 करोड़ की कीमत पर तीन आधुनिक सी.ओ.डी.ओ.जी. फ्रिगेट्स के अधिग्रहण के लिए मैसर्स एम.डी.एल. के साथ करार किया। संविदा (ठेका) के अनुच्छेद 3.9.3 के अनुसार, इस संविदा के अंतर्गत सभी रद्दियॉ जो कार्य से उत्पन्न होगी, मालिक अर्थात भारतीय नौसेना की होगी और निर्माता (मैसर्स मझगॉव डॉक लिमिटेड) को जिस भी प्रकार मालिक प्राधिकृत करे, उस प्रकार इस रद्दी के निपटान की व्यवस्था करके उत्तरोतर प्रत्येक वर्ष आगमो को मालिक के पास जमा करना था।

हमारी संवीक्षा (छानवीन) दिखाती है कि यद्यपि रद्दी, पोत निर्माता द्वारा वर्ष 2007-08 से 2011-12[16] के दौरान प्रत्येक वर्ष बेची गई, परन्तु सभी जमाओं को नौसेना को नही सौपा गया। यह ध्यान दिया गया कि ₹1.96 करोड़ कीमत की रद्दी का निपटान मैसर्स एम.डी.एल. द्वारा 2007-08 से 2011-12 के दौरान किया गया। बगैर नौसेना के मांग के बावजूद मैसर्स एम. डी. एल. ने केवल जून 2012 में ₹1.96 करोड़ की रकम को तीन सम दिनांकित बिलों के माध्ययम से जमा करने की प्रक्रिया आरंभ की। मैसर्स एम.डी.एल. के पास ₹1.96 करोड़

[16] एम.डी.एल. कि बिल सं. (क) 12617/2711 दि. 01/06/2012 (ख) 12627/2592 दि. 01/06/2012 और 12637/2106 दि. 01/06/2012 के अनुसार संविदा सं.016/डी.एन.डी./सी./98-99/पी.-17 दि. 10/06/2008 के सापेक्ष 2007-08 से 2011-12 कि अवधि के लिए रद्दी की किमत ₹1.96 करोड हुई।

की रकम सन् 2008 से प्रोदभूत थी जो कि केवल अगस्त 2012 में सरकारी लेखा में जमा की गई थी। अर्थात पाँच वर्ष पश्चात्।

हमने बताया (अप्रैल 2013 में) कि संविदा के अनुसार रद्दी के निपटान से प्राप्त आगम उत्तरोत्तर प्रत्येक वर्ष जमा की जाएगी। चूकि (जैसा कि) ऐसा नही किया गया इसलिए रखे धन पर ब्याज, प्रत्येक विशिष्ट वर्ष ली गई अंतिम राशि पर देय ब्याज की औसत दर से मैसर्स एम.डी.एल. से वसूल किया गया। जो कि ₹39.23 लाख की रकम हो गई।

इसको नौसेना ने स्वीकार किया (मई 2013 में) और रकम मैसर्स एम.डी.एल. से वसूल की गई (मई 2013)।

इस मामले को मंत्रालय के पास विचारार्थ भेजा गया (अप्रैल 2014 में) हमने आगे, विक्रय के वर्ष ही रद्दी से प्राप्त जमा के प्रति नौसेना के आश्वस्त होने पे असफल होने के कारणों की जाँच की। जबकि उत्तर आपेक्षित था (सितम्बर 2014 में) मंत्रालय का ड्राफ्ट पैराग्राफ (अप्रैल 2014) के लिए भी उत्तर प्रतीक्षित था।

4.8 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली/बचत

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर ₹1.55 करोड़ की वसूली / बचत की गयी।

डी.पी. एम. 2009 निर्धारित करता है कि प्रापण प्राधिकरण को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि चयनित प्रस्ताव का मूल्य उचित है एवं भंडारों की खरीद सबसे अल्पव्ययी ढ़ंग से की जाए।

प्रकरण-I: लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर ₹79.85 लाख के अधिक भुगतान की वसूली।

लेखा परीक्षा ने (जनवरी 2013) देखा कि दो वातानुकूलित कंप्रेशर के लिए 57 प्रकार के पुर्जों की मालिकाना मद प्रमाणपत्र (पी.ए.सी.) फर्म यथा मेसर्स योर्क इन्डिया लिमिटेड से ₹1.88 करोड़ (मूल्य वर्धित कर एवं छूट को छोडकर) की खरीदी (सितम्बर-2011) में मानको का उल्लंघन सामग्री, विशाखापट्टणम द्वारा किया गया और इंगित किया गया कि फर्म के दर की जाँच मुल उपकरण निर्माता (ओ.ई.एम.) के दर से नही करने के कारण ₹79.85 लाख का अधिक भुगतान हुआ। एम.ओ. वी. ने चूक स्वीकार की (मई-2013) तथा ₹79.85 लाख फर्म से वसूल किया (जुलाई 2013)।

प्रकरण-II: लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर ₹40.71 लाख की बचत।

लेखा परीक्षा अवलोकन (जनवरी-2013) के अनुसनण में, एम.ओ.(वी) ने प्रशीतन कंप्रेशर के 56 प्रकार के कल-पुर्जों के खरीदी उसी पी.ए.सी. फर्म यथा मेसर्स योर्क इंडिया लिमिटेड से एक और आदेश अगस्त 2013 में ₹1.13 करोड़ के मूल्य को ₹71.54 करोड़ संशोधित किया। एम.ओ. (वी) ने लेखा परीक्षा को इस बात की पुष्टी (जनवरी 2014) की कि इकाई दर तथा कुल आदेश मूल्य को संसोधित किया गया और लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर ₹40.71 लाख की बचत हुई।

प्रकरण-III: लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर आपूर्ति आदेश के रद्द किये जाने पर ₹34.26 लाख की बचत।

सामान्य वित्तीय नियमावली को नियम 137 (1) निर्धारित करता है कि वस्तु रख रखाव खर्च से बचने के लिए आवश्यकता से अधिक संख्या में सामान खरीदने से बचने के लिए सावधानी बरती जाए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया (सितम्बर-2011) कि एम.ओ.(वी) के द्वारा मेसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड को दिए गए आपूर्ति आदेश (नवम्बर 2010) में इस नियम का उल्लघन था, क्योंकि आदेशित मात्रा आवश्यकता से अधिक थी। रश्मि रडार के तीन प्रकार के पुर्जों की खरीदी के लिए।

लेखा परीक्षा ने एम.ओ.(वी) को सलाह (सितम्बर-2011 तथा सितम्बर-2012) दिया कि आपूर्ति आदेश पुर्नविलोकन/रद्द किया जाए। एम.ओ.(वी) ने आपूर्ति आदेश रद्द (दिसम्बर-2012) किया और लेखा परीक्षा को सूचित किया कि आपूर्ति आदेश लेखा परीक्षा के प्रेक्षण (सितम्बर-2011 तथा सितम्बर-2012) के आधार पर रद्द किया गया है। इस प्रकार, लेखा परीक्षा एम.ओ.(वी) के द्वारा पुर्जो की आवश्यकता के गलत मूल्यांकन की ओर इंगित करने के पश्चात ₹34.26 लाख की बचत हासिल की।

मंत्रालय के पास यह मामला भेजा गया (मई-2014) किया गया और उत्तर अपेक्षित (अगस्त-2014)।

4.9 निर्माण कार्यों एवं विशिष्ट उपकरणो की प्रबंध व्यवस्था में संकलन न होने के कारण निवेश का बेकार होना।

मार्च 2010 में ₹20.21 करोड़ की लागत से स्वीकृत मरीन कमांडो (मार्कोज) ईस्ट के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता, अभी भी पूरी होनी बाकी हैं। निर्माण कार्यों एवं विशिष्ट मदों की प्रबंध व्यवस्था में संकालन न होने के कारण ₹6.98 करोड़ का निवेश भी बेकार हो रहा है।

रक्षा निर्माण कार्य प्रक्रिया (डी.डब्ल्यू.पी.) 2007 के प्रावधानानुसार विशेष निर्माण कार्यों के लिए उपभोक्ता, विशेषज्ञ डिजाइन सलाहकारों तथा सयंत्रों एवं उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं के बीच आपसी सामंजस्य होना आवश्यक है। डी.डब्ल्यू.पी. के अनुसार नये निर्माण कार्यों की योजना के लिए मामले के विवरण में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निर्माण कार्यों के साथ एकीकृत किए जाने वाले विशिष्ट उपकरणों या शस्त्रों की प्राप्ति/स्थापना/भंडारण, प्रस्तावित परियोजना में शामिल है या नहीं।

मुख्यालय, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापतनम [(एच.क्यू.ई.एन.सी.(वी.)] में हमने एक विशेष निर्माण कार्य "प्रोविजन ऑफ कवर्ड वर्क अपस्टेशन ऐट मार्कोज ईस्ट विशाखापतनम" के कार्यान्वयन में खामिया पायी (जून 2013)।

मार्कोज ईस्ट, फलैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, विशाखापतनम की प्रत्यक्ष संचालन कमान के अधीन एक विशेष कार्यवाही यूनिट है। यह यूनिट तीनों आयामों में अर्थात समुद्र, आकाश एवं धरती पर विशेष कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार है जिसके लिए उच्च स्तरीय पेशेवर दक्षता एवं नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है।

आवश्यक बुनियादी ढ़ाँचे के अभाव में प्रशिक्षण के संचालन के लिए यूनिट आर्मी की सुविधाओं या फिर अस्थायी कामचलाऊ इंतजाम पर ही आश्रित था। जोकि काफी हद तक प्रशिक्षण मानकों में गिरावट के रूप में परिणित हुआ। तदनुसार, मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान ने निर्माण कार्यो पर विचार विमर्श एवं अनुशंसा हेतु एक अधिकारी बोर्ड का गठन किया (जनवरी 2008)। बोर्ड की प्रोसीडिंग्स के आधार पर, मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापतनम ने निर्माण कार्य निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को "प्रोविजन ऑफ कवर्ड वर्क अप

स्टेशन ऐट मार्कोज ईस्ट, विशाखापतनम की सिफारिश की। जिसमे निम्न सिफारिशें शामिल थीः-

क. एडवांस्ड ट्रेनिंग स्किल्स सेक्शन/एंशिलरीज तथा इनडोर अर्बन फायरिंग रेंज से युक्त कवर्ड वर्क ऊप स्टेशन एक आवश्यक सेवा है।

ख. इनडोर अर्बन फायरिंग रेंज के लिए एम.ई.एस. को केवल ढ़ांचे का निर्माण एवं सम्बन्धित मूलभूत सुविधाओं की प्रबंध व्यवस्था करनी होगी। रेंज के बाकी सभी घटकों की व्यवस्था एक संपूर्ण शूटिंग रेंज समाधान के रूप में अकेले एक एजेन्सी (ओ.ई.एम.) द्वारा की जानी थी।

ग. ओ.ई.एम. एक ऐसा सुपरिचित आपूर्तिकर्ता होना चाहिए जिसने विशेष बलों/कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली एजेंसिओं के साथ इस प्रकार की कम से कम 15-20 परियोजनाओं पर काम किया हो। अन्यथा इस परियोजना को पी.एस.यू. द्वारा कार्यान्वित किया जाए।

इस बीच, बोर्ड प्रोसीडिंग्स के मसौदे के अवलोकन के समय, मुख्य अभियंता (नौसेना), विशाखापतनम ने मत व्यक्त किया (मई 2009) कि इनडोर रेंज टारगेट सिस्टम एवं संबंधित हार्डवेअर व साफटवेअर एम.ई.एस. की निर्माण सेवाओं में शामिल नही हैं।

हाँलाकि बोर्ड प्रोसीडिंग्स में इस विशेष निर्माण कार्य को दो अलग-अलग घटकों के रूप में स्पष्टतः दिखाया गया था, अर्थात निर्माण कार्य एवं गैर निर्माण कार्य फिर भी मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान ने इन दोनों को निर्माण कार्यों के रूप में इक्कट्ठा करके एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में निर्माण कार्य निदेशालय को अनुमोदन हेतू भेज दिया (जून 2009)। बोर्ड द्वारा दोनों घटकों को अलग - अलग किए जाने को एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के स्तर पर भी नजर अंदाज कर दिया गया तथा मंत्रालय ने भी दोनो घटकों को एम.ई.एस. द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों के रूप में स्वीकृत किया।

तत्पश्चात्, मंत्रालय ने ₹20.21 करोड़ की लागत से एम.ई.एस द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य "प्रोविजन ऑफ कवर्ड वर्क अप स्टेशन ऐट मार्कोज (ईस्ट), आई.एन.एस. कलिंगा, विशाखापतनम" के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी (मार्च 2010)। यह भली भाँति जानने के बावजूद कि इस विशेष निर्माण कार्य में वेपन ट्रेनिंग सिम्यूलेटर, इनडोर अर्बन शूटिंग रेंज एवं फलेक्सिबल ट्रेनिंग फिक्सचर्स के लिए एक आपूर्तिकर्ता का चुनाव आवश्यक था जिसके द्वारा

स्पेसिफिकेशन उपलब्ध करायी जानी थी, मुख्य अभियंता (नौसेना) विशाखापतनम ने ऐसे किसी आपूर्तिकर्ता के चयन के पहले ही ₹6.97 करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य के लिए मैसर्स के. कुमार रफा प्रोजेक्टस (प्रा.) लि., विशाखापतनम के साथ एक अनुबंध किया (दिसम्बर 2010)। यह उस आवश्यकता के बिल्कुल विपरीत था जिसके अनुसार विशेष निर्माण कार्यों के लिए उपकरण के अपूर्तिकर्ता/सलाहकार के साथ आपसी सामंजष्य आवश्यवक है जिनका चयन अभी तक नहीं किया गया था। कार्य का प्रारम्भ जनवरी 2011 में हुआ एवं समापन अप्रैल 2014 में।

इसके अतिरिक्त, उपकरणों के आपूतिकर्ता को निश्चित करने की जगह, मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान विशाखापतनम ने प्रस्तावित ओ.ई.एम. आईटमस अर्थात गैर निर्माण कार्यों के संबंध में आपूर्ति के ज्ञात स्त्रोतों की एक सूची मुख्य अभियंता (नौसेना) विशाखापतनम को भेज र्यो (नवम्वर 2011)। तथापि, मुख्य अभियंता (नौसेना) विशाखापतनम ने मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान को अनुरोध किया (फरवरी 2012) कि उपकरणो की विस्तृत स्पोसिफिकेशनस पर अंतिम निर्णय करके भेंजे ताकि इसे निविदा में शामिल किया जा सके।

काफी विलंब के बाद जब बिल्डिंग का निर्माण कार्य बहुत आगे बढ़ चुका था, मुख्य अभियंता (नौसेना) ने अनुरोध किया (मई 2012) उपकरणों की स्थापना की संभाव्यता जानने के लिए एवं आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए कि प्रयोक्ता यूनिट की तरफ से बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए मुख्य अभियंता ने कहा (मई 2012) कि कार्य की तीन मदों - वैपन ट्रेनिंग सीमूलेटर,इनडोर अर्बन शूटिंग रेंज एवं फलेक्सिबल ट्रेनिंग फिक्सचर्स की व्यवस्था के लिए निविदा करना उनके लिए कठिन हो रहा है क्योंकि ये मदें निर्माण कार्यों की श्रेणी में नहीं आती हैं मुख्य अभियंता (नौसेना) ने मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान से कार्यों को इन मदों को कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध किया (मई, अगस्त एवं दिसम्बर 2012)।

मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान, मुख्य अभियंता (नौसेना) विशाखापतनम एवं ई.इन.सी. ब्रांच के बीच काफी पत्राचार के बाद, मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान ने केवल बिल्डिंग सम्बन्धी निर्माण कार्यों के दायरे को घटाकर प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित करने एवं एक रिडक्शन स्टेटमेंट तैयार करने का निर्णय किया (अप्रैल 2013)। तदनुसार, मुख्य अभियंता (नौसेना) विशाखापतनम ने स्वीकृति राशि को ₹11.24 करोड़ तक कम करने के लिए एक रिडक्शन स्टेटमेंट तैयार की।

लेखा परीक्षा ने देखा कि केवल अप्रैल 2013 में ही मार्कोज (ईस्ट) ने अर्बन फायरिंग रेंज के लिए विस्तृत नौसेना स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता को मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान को भेजा जिसने फिर इसे एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) को भेज दिया (अप्रैल 2013)। इस प्रकार मार्कोज (ईस्ट) ने कवर्ड वर्क स्टेशन की आवश्यकता वर्ष 2008 में होने के बाद इसकी तकनीकी आवश्यकता को संप्रेषित करने में लगभग पाँच वर्ष लिए।

हांलाकि मुख्य अभियंता (नौसेना) विशाखापतनम अपनी तरफ से यह पहले कह चुका था (मई 2009) कि यह कार्य एम.ई.एस. की कार्य सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता हैं फिर भी सम्पूर्ण कार्य का ठेका हो जाने के बाद और कार्य के अग्रिम अवस्था में पहुँच जाने के बाद जब निर्माण कार्यों को अधिप्राप्त किये जाने वाले विशेष उपकरणों के साथ एकीकरण अत्यंत आवश्यक था तभी मुख्य अभियंता (नौसेना) विशाखापतनम ने गैर निर्माणी कार्यों को कर पाने में असमर्थता व्यक्त की। इसके फलस्वरूप, गैर निर्माणी कार्यों अर्थात विशष उपकरणों के प्रावधान को स्वीकृति होना अभी भी बाकि है जबकि निर्माणी ढ़ाचे के लिए ₹6.97 करोड़ का व्यय पहले ही किया जा चुका है (मार्च 2014) जोकि बेकार हो रहा हैं।

अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मार्कोज (ईस्ट) के पास अभी तक अपनी खुद की उन्नत पेशेवर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसकी आवश्यकता अक्टूबर 2008 में व्यक्त की गई थी।

हमारे प्रेक्षणों के संदर्भ में मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान ने स्वीकार किया (जूलाई 2013) कि बोर्ड प्रोसीडिंग्स के अनुसार एम.ई.एस. को केवल ढ़ाचा तैयार करना था और आधारभूत सुविधएँ ही प्रदान करनी थी जबकि बाकि के सभी घटकों को एक सम्पूर्ण शूटिंग रेंज समाधान के रूप में स्थापित करने का कार्य चुने हुए ओ.ई.एम. को करना था। मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान ने इसके आगे कहा कि एम.ई.एस. बोर्ड प्रोसीडिंगस में शामिल था और उन्हें बोर्ड के दौरान ही अपनी आपत्तियाँ व्यक्त करनी चाहिए थी। मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान ने यह भी कहा कि केवल वह एक ओ.ई.एम. ही उपकरण की गुणात्मक आवश्यकताओं (क्यू.आर.) को पूरा कर सकता हैं जिसे बोर्ड के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया था और उससे निर्माणी कार्य के लिए जानकारी प्राप्त की गई थी।

मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान का यह कथन कि एम.ई.एस. ने बोर्ड प्रोसीडिंगस के समय गैर-एम.ई.एस. हिस्से को शामिल करने पर आपत्ति नही की थी वस्तुतः गलत है क्योंकि मुख्य अभियंता (नौसेना) विशाखापतनम ने मार्कोज (ईस्ट) को यह सूचित कर दिया था (मई 2009)

कि इनडोर रेंज टार्गेट सिस्टम तथा सम्बन्धित हार्डवेअर एवं सॉफ्टवेअर एम.ई.एस.के कार्यक्षेत्र में शामिल नही था।

संक्षेप में, इस विशेष कार्य के सभी महत्वपूर्ण पहलूओं पर ध्यान न देने के कारण, मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान तथा एम.ई.एस. अधिकारियों का उदासीन रवैया, निर्माणी कार्यों एवं विशिष्ट उपकरणों की अधिप्राप्ति के संकालन के अभाव के रूप में परिणत हुआ जिससे निर्माणी कार्यें पर ₹6.98 करोड़ का निवेश बेकार हो रहा है।

यह मामला मंत्रालय को मई 2014 में भेजा गया था। उनका जवाब प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

4.10 एक समर्पित ईधंन पाइपलाइन की अनुपलब्धता एवं निधियों का अवरोधन।

पाइपलाइन के संरेखण पर तटरक्षक एवं नौसेना के मध्य समन्वय के अभाव के कारण अप्रैल 2004 से ₹2.20 करोड़ खर्च हो गये हैं। इसके अतिरिक्त, जेटी तक ईधंन पाइपलाइन भी उपलब्ध नहीं हो सकी।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने ₹24.81 करोड़ की लागत से पोर्टव्लेयर में तटरक्षक पोतों के लिए एक जेटी के निर्माण को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 1998)। अन्य बातों के साथ साथ इसमें इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) के टर्मिनल तक एक ईधंन पाइपलाइन बिछाने के लिए तटरक्षक पोतों को आसानी के साथ हर समय ईधंन उपलब्ध कराया जा सके। तटरक्षक जेटी को जुलाई 2002 में ईधंन पाइपलाइन के बिना चालू किया गया क्योंकि इसे जेटी के पूरा होने के बाद बिछाया जाना था।

फरवरी 2004 में, रक्षा मंत्रालय ने परियोजना की लागत को बढ़ाकर ₹26.77 करोड़ कर दिया। परियोजना की लागत में ₹1.96 करोड़ की बढ़ोतरी कथित तौर पर ईधंन पाइपलाइन बिछाने की लागत के ₹28.75 लाख से बढ़कर ₹2.20 करोड़ हो जाने के कारण हुई थी। यह बढ़ोतरी ईधंन पाइपलाइन के संरेखण को अंतिम रूप देने के बाद निर्धारित लागतों (सितम्बर 2002) पर आधारित थी। इस कार्य को एम.ई.एस. रेग्यूलेशन के अनुसार एम.ई.एस. के द्वारा या उनके द्वारा की गई व्यवस्था के तहत किया जाना था।

एम.ई.एस. प्राधिकारियों ने पाइपलाइन बिछाने के लिए ₹2.20 करोड़ की एक अग्रिम राशि मैसर्स आई.ओ.सी. के पास जमा कर दी (मार्च 2004)। क्योंकि इस पाइपलाइन को नौसेनिक क्षेत्र से होकर गुजरना था, मैसर्स आई.ओ.सी. ने सक्ष्म प्राधिकारी की आवश्यक

अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एम.ई.एस. से अनुरोध किया (अगस्त 2004)। तद्नुसार, मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र (अंडमान निकोबार) पोर्ट ब्लेयर [एच.क्यू.सी.जी.आर.(ए. एण्ड एन.)] ने मुख्यालय अंडमान निकोबार कमान, पोर्ट ब्लेयर [एच.क्यू.ए.एन.सी.] से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने के लिए अनुरोध किया (सितम्बर 2004)। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने लगभग डेढ़ वर्ष के बाद जनवरी 2006 में एन.ओ.सी. प्रदान किया।

इसी बीच मंत्रालय द्वारा मार्च 1998 में जारी एवं फरवरी 2004 में संशोधित स्वीकृति के आधार पर पोर्ट ब्लेयर में नौसेना की भूमी से होकर आई.ओ.सी. टर्मिनल से लेकर तटरक्षक जेटी तक एक नई ईधंन पाइपलाइन बिछाने के उद्देश्य से नौसेना एवं तटरक्षक के बीच एक समझौता (एम.ओ.यू.) हुआ। एम.ओ.यू. में यह निर्दिष्ट था कि ईधन पाइपलाइन नौसेनिक भूमि से होकर हॉर्न बिल नेष्ट (आफिसर्ज मेस) के पास से गुजरेगी।

मैसर्स आई.ओ.सी. द्वारा इस कार्य का प्रारम्भ मार्च 2006 में किया गया था तथा ₹70 लाख की लागत से 90 मीटर तक पाइपलाइन सपोर्ट के लिए खम्भो के आधारों का निर्माण किया गया था एवं पाइपों के कुछ हिस्सों को पेटिंग का कार्य भी किया गया था। तथापि अक्टुबर 2006 में एक दीर्घ भूस्खलन के कारण कार्य को रोक देना पड़ा।

तीन वर्षो के बाद, मैसर्स आई.ओ.सी. ने पाइपलाइन बिछाने के लिए एक अन्य वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव किया (सितम्बर 2009) जिसके लिए तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता (अंडमान निकोबार) क्षेत्र द्वारा किया गया था (दिसम्बर 2009)। मैसर्स आई.ओ.सी. द्वारा प्रस्तावित यह वैकल्पिक संरेखण भूस्खलन संभावित तटरेखा से दूर था और हॉर्नबिल नेस्ट हाऊस (आफिसर्ज मेस) के सामने की सड़क को पार करके गुजरता था।

मुख्यालय अंडमान निकोबार कमान (एच.क्यू.ए.एन.सी.) ने नए संरेखण पर संदेह व्यक्त किया (मई 2010) और सुझाव दिया कि संरक्षा और सुरक्षा के पहलूओं को देखते हुए नौसेनिक क्षेत्र से गुजरने वाली इस पाइपलाइन को भूमि के अंदर बिछाना चाहिए। तथापि, आई.ओ.सी. ने कहा कि तकनीकी रूप से यह संभव नही है, क्योंकि वे तटरेखा के पास भूमि के अंदर पाइपलाइन नहीं बिछाते। इसके बाद मुख्यालय अंडमान निकोबार कमान द्वारा गठित एक संयुक्त अध्ययन बोर्ड ने अनुशासित किया कि ईधन पाइपलाइन को हार्नबिल नेष्ट को जाने माली सड़क के पास से एक धातु की नली से गुजारा जा सकता है। नौसेना ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया क्योंकि नौसेना हार्नबिल नेष्ट के सामने की सड़क को न तोड़कर हार्नबिल नेष्ट के आस पास से ही कोई वैकल्पिक उपाय चाहती थी। इस प्रकार एक ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया जिसका समाधन नहीं हो पाया।

इसी बीच मुख्यालय अंडमान निकोबार कमान (एच.क्यू.ए.एन.सी.) में चीफ ऑफ स्टाफ ने तटरक्षक को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) न देने का निर्णय किया (जनवरी 2011) क्योंकि आई.ओ.सी. टार्मिनल से संभावित सुरक्षा खतरों के कारण नौसेना इसे इसकी वर्तमान स्थिति से हटाने का मामला तैयार कर चुकी थी (मई 2010)। धन की वापसी के लिए इस मामले को आई.ओ.सी. के पास ले जाने हेतु मुख्यालय अंडमान निकोबार कमान (एच.क्यू.ए.एन.सी.) द्वारा मुख्य अभियंता (अंडमान निकोबार) को भी निर्देशित किया गया था (जनवरी 2011) इसका समर्थन कमांडर-इन-चीफ मुख्यालय अंडमान निकोबार कमान द्वारा भी किया गया था (मार्च 2011) जिसने तटरक्षक मुख्यालय को निर्देश दिया कि इस कार्य को बंद कर दिया जाए और आई.ओ.सी से ₹2.20 करोड़ की वापसी के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। लगातार पत्राचार के बाद तटरक्षक क्षेत्रिय मुख्यालय (अंडमान निकोबार) एक बार फिर मामले को मुख्यालय अंडमान निकोबार (एच.क्यू.ए.एन.सी.) के पास ले गया (जून 2010) ताकि इस मामले पर पुर्नविचार के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो सके।

हमने देखा (नवम्बर 2013) कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न होने की परिणति पिछले नौ वर्षो में बिना किसी प्रगति के ही मेसर्स आई.ओ.सी. के पास मार्च 2004 से जमा ₹2.20 करोड़ के अवरोधन के रूप में हुई। हमारी जाँच (नवम्बर 2013) से वस्तुतः उजागर हुआ कि मुख्यालय अंडमान व निकोबार, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक को यह विचार व्यक्त कर चुका था (अक्टूबर 2013) कि आई.ओ.सी. द्वारा प्रस्तावित संरेखण/मार्ग नौसेना को स्वीकार्य नही था क्योंकि यह नौसेनिक अंवसरचना से होकर या इसके पास से गुजरता हैं।

हांलाकि बाद में नौसेना द्वारा यह दृष्टिकोण स्वीकार किया गया था क्योंकि समझौता ज्ञापन की प्रारम्भिक चरण के दौरान ही नौसेना यह मान चुकी थी और भली भाँति जानती भी थी कि ईधंन पाइपलाइन हार्नबिल नेष्ट के पास से होकर नौसेनिक क्षेत्र से होकर गुजरेगी। उस चरण के दौरान नौसेना ने नौसेनिक क्षेत्र से नजदीकी और सुरक्षा खतरों/सुरक्षा के मुद्दों के प्रति चिंता नही जताई। यहां तक कि आई.ओ.सी. द्वारा सुझाई गई वैकल्पिक पाइपलाइन भी उसी नौसेनिक क्षेत्र से होकर गुजरनी थी जिसके लिए प्रारम्भ में नौसेना को कोई नहीं थी और अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया था (जनवरी 2006)।

जवाब में तटरक्षक अधिकारियों ने कहा कि नौसेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में ही भुगतान किया गया था तथा आई.ओ.सी. लगभग ₹70 लाख की कीमत की पाइपलाइन और अन्य उपकरण खरीद चुकी थी। इस दौरान बाउजरों[17] के जरिए ईधंन की ढुलाई के लिए ₹26 लाख की राशि भी व्यय की जा चुकी थी।

[17] बाउजर : विमान मे ईधंन पूर्ति के लिए या दुसरे वाहनों या जलापूर्ति के लिए प्रयुक्त टैकंर

अर्थात भारतीय तटरक्षक पोतों को ईधंन की आपूर्ति के लिए आवश्यक ईधंन पाइपलाइन बिछाने के बारे में मुख्यालय अंडमान व निकोबार द्वारा लिए गए निर्णय में बदलाव के कारण ईधंन के हर समय उपलब्ध हो सकने की स्थिति में परिकल्पित मुख्य लाभ उपलब्ध नहीं हो सके। इस प्रकार नौसेना/ तटरक्षक को बाऊजरों के जरिए जेटी तक ईधंन पहुँचाने की निवर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखना होगा। यह इस वास्तविकता के बावजूद है कि तटरक्षक पोतों को हर समय आसानी से ईधंन उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 1998 में जेटी के निर्णाण के लिए दी गई स्वीकृति में आई.ओ.सी. टर्मिनल तक ईधंन पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी शामिल था।

₹2.20 करोड़ की राशि पिछले 10 वर्षो से बिना किसी स्पष्ट लाभ के अवरूठ पड़ी है। इसके साथ साथ जब तक ईधंन पाइपलाइन बिछेगी उस समय तक बाऊजरों के द्वारा ईधंन की ढुलाई पर बारम्बार होने वाला व्यय भी जारी रहेगा। इसके अलावा, पर्याप्त बाऊजरों के न होने के कारण पोतों को ईधंन की आपूर्ति में भी देरी होती हैं जिससे तटरक्षक एवं नौसेना दोनों पोतों की संचालन सुनमयता प्रभावित होती है।

मामला मंत्रालय के पास भेजा गया था (मई 2014), जवाब प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।